न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

NEWS LETTER

ACTIVITIES REPORT SEPTEMBER 2021

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
JABALPUR (M.P.)

Lok Adalat Programmes

National Lok Adalat
(11.09.2021)

REMARKABLE NUMBER OF CASES DISPOSED IN NATIONAL LOK ADALAT 11 SEPTEMBER 2021

On 11th September 2021, 2nd National Lok Adalatof 2021 inaugurated by Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, The Chief Justice & Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authorityin the august presence of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, Madhya Pradesh State Legal Services Authority-Jabalpur, Hon'ble Shri Justice Atul Sreedharan, Chairman, High Court Legal Services Committee- Jabalpur and other Hon'ble Companion Judges of High Court at Principal Seat Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior.

This Lok Adalat was organized across the State including Principal Seat Jabalpur & Benches at Gwalior & Indore of Hon'ble the High Court of M.P. andall the District Courts, Taluka Courts, Labor Courts, Family Courts and other courts/tribunals in the State.

Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman Madhya Pradesh State Legal Services Authority Jabalpur worked round the clock and have a continuous interactive sessions with Chief Secretary & Principal Secretaries of all the Govt. Departments, Principal District Judges and all the stakeholders to motivate them and to pursue the government agencies to extend financial benefits/rebates to the common people especially in Electricity matters, Property & Water Tax matters related to Municipal Corporation and also to encourage them to declare rebates in Cheque Bounce/Recovery Cases so that the poor litigants can be benefitted and they should have instant relief in such a pandemic period.

Under the constant guidance of the Hon'ble Executive Chairman Shri Justice Prakash Shrivastava, MPSLSA also conducted several meetings with all Insurance Companies, Bankers, Secretaries, Family Court Judges and all the Presiding Officers of the Labour Courts. Result of the regular supervision of Hon'ble Executive Chairman, appeared in the present 2nd National Lok Adalat of year 2021, as per information received till 05:00 P.M, **40,845 cases** have been settled mutually involving an amount of **243,06,48,253/-.** Members of the BAR, Print & Electronic Media and PLVs played a major role for wide publicity and in reaching to the common people the message of holding this Lok Adalat on 11th September 2021 and to obtain early, easy & accessible justice by mutual understanding.

All the Courts/Tribunals across the State participated in this 2nd National Lok Adalat with the motivation & inspiration of Hon'ble the Chief Justice Shri Justice Mohammad Rafiq and Hon'ble the Executive Chairman, Shri Justice Prakash Shrivastava. **1445 Benches** were constituted at district level. Apart from that, **15 Benches** of Hon'ble High Court Judges at Principal Seat- Jabalpur & both the Benches at Indore & Gwalior are also functioning in today's Lok Adalat and as many as **1061** have been settled.

This occasion was also marked with release of Monthly Newsletter Magazine &Tree Plantation Booklet by Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice & Patron-in-Chief, MP State Legal Services Authority.

On this occasion Member Secretary MPSLSA Shri Dharminder Singh Rathod, Registry Officers of High Court, Additional Secretary MPSLSA Shri Manoj Kumar Singh, Secretary HCLSC- Jabalpur Shri Mohit Diwan, Deputy Secretaries MPSLSA Shri Arvind Shrivastava and Ms. Swapnshree Singh were also present.

Hon'ble the Executive Chairman Shri Justice U.U.Lalit, NALSA interacting through online mode with presiding officer of National Lok Adalat Bench at District Court Indore.

Hon'ble the Executive Chairman Shri Justice Prakash Shrivastava, MPSLSA interacting with public and Government officials during the visit of District Court Jabalpur at National Lok Adalat.

Success Stories....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर

लगभग 18 वर्ष से चल रहे विवाद का हुआ निराकरण–

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट अशोकनगर के न्यायालय में लंबित 18 वर्ष पुराने विवाद में फरियादी तथा आरोपी के मध्य राजीनामा हुआ। दोनो पक्षों के मध्य लगभग 18 वर्ष पूर्व मजदूरी करते हुये मामूली बात को लेकर विवाद एवं छोटी–मोटी मारपीट होने के कारण अब तक कानूनी पकिया में उलझे हुये थे, किन्तु नेशनल लोक अदालत में प्रकरण रखे जाने के परिणामस्वरूप लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्य द्वारा समझाईश दी गई तथा 18 वर्ष के विवाद का सौहाद्रपूर्ण तरीके से त्वरित एवं स्थाई निराकरण हो गया।

की मंशानुरूप पक्षकारों को अधिक से अधिक लाभ मिले एवं अधिक से अधिक मामलों का निराकरण हो यही हम सभी का समन्वित प्रयास होना चाहिए। इस अवसर पर शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा, नोडल अधिकारी/एडीजे, प्रिया शर्मा, एडीजे, पंकज कुमार वर्मा, सचिव/एडीजे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महेश चौहान, एडीजे, अमित भूरिया, एडीजे, महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि उपस्थित थे।

18 साल से चल रहा था विवाद, मिनटों में निपटा

नेशनल लोक अदालत में लगभग 18 वर्ष से चल रहे विवाद का निराकरण हुआ। मामले के फरियादी और आरोपी ग्राम वियाधरी जिला अशोकनगर दोनों पक्षों के मध्य लगभग 18 साल से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें छोटी-मोटी मारपीट हुई एवं 2003 से लकर अब तक कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुये थे, लेकिन लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी महेन्द्रपाल सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं इनके काउंसलर भगवती लोधी द्वारा समझाईश देने पर इस मामले में राजीनामा हुआ।

कुटुम्ब न्यायालय के 18 और परामर्श केंद्र के पांच मामले हुए निराकृत

इस अवसर पर कुटुम्ब न्यायालय के 18 मामले और पुलिस परामर्श केन्द्र में रखे 5 मामले, जो कि पारिवारिक प्रकृति के होकर साझी गृहस्थी में उत्पन्न होने वाली छोटी-छोटी बातों के कारण दोनों पति-पत्नी बच्चों सहित पृथक-पृथक सालों से रह रहे थे।

लोक अदालत में शामिल होने के कारण सविता दुबे, प्रधान जिला न्यायाधीश, प्रिया शर्मा, विशेष न्यायाधीश, शैलेन्द्र नागौत्रा, लोक अदालत नोडल ऑफिसर, पंकज वर्मा, सचिव द्वारा दी जाने वाली समझाईश के कारण कुल 18 परिवार आपसी सहमती से अपने घर साथ जाने को सहमत हुये एवं पक्षकारों ने एक दूसरे को माला पहनाकर एक-साथ रहने एवं अपने बच्चों का पालन पोषण करने का वचन लिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,दमोह

बीमा कंपनी व आवेदकगण के मध्य 47 लाख का समझौता

नेशनल लोक अदालत में दमोह के न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में पक्षकारगण एवं बीमा कंपनी आई.सी.आई.सी.आई. लोमवार्ड के मध्य 47,00,000/–(सैतालीस लाख रूपये) में समझौता हुआ। नेशनल लोक अदालत में प्री–सिटिंग के माध्यम से मामले में समझौता राशि पर सहमति बनी तथा आवेदकगण एवं बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्तागण की उपस्थिति में समझौते के आधार पर आवेदकगण को अवार्ड राशि भी प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,दमोह

11 साल तक अलग रहने के बाद लोकअदालत ने पति–पत्नि को मिलाया

आवेदक तथा अनावेदक की शादी 2005 में हुई थी। शादी के पांच साल बाद मनमुटाव होने से फैमिली कोर्ट में एकपक्षीय तलाक हो गया, इस कारण पति ने फिर से पत्नि को साथ में रहने के लिए प्रयास शुरू किए। 11 साल तक अलग रहने के बाद लोक अदालत की खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी ने दोनों को समझाया, जिससे कि वह एक साथ रहने तथा तलाक को निरस्त करवाने के लिए तैयार हो गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,देवास

प्रार्थी माता द्वारा प्रतिपार्थी गण संतानों के विरूद्ध कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया के पति के निधन उपरांत उसके संतानों द्वारा भरण पोषण नहीं करने के कारण आवेदन पेश किया गया। नेशनल लोक अदालत मे प्रार्थी एवं प्रतिपार्थी के मध्य समझाईश के उपरांत प्रतिपार्थीगण अपनी माता को भरण पोषण एवं ईलाज हेतु 5–5 हजार रूपये दिये जाने को सहमत हुय और प्रतिपार्थी गण को निर्देशित किया गया कि वे समय समय पर माता को उनके घर देखने भी जाएंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,गुना

35 साल पुराना 1 करोड़ 50 लाख रूपये का विवाद लोक अदालत में निराकृत

नेशनल फर्टिलाईजर लिमिटेड एवं नागिया कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बीच सिविल प्रकरण वर्ष 1987 में दर्ज किया गया, जिसका निराकरण वर्ष 1991 में होकर माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसका निराकरण 1994 में हुआ। निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुई जिसका निराकरण भी वष 2000 में हुआ। लगभग 35 साल पुराना लेनदेन संबंधी विवाद दोनो पक्षों ने पीठासीन अधिकारी की समझाईश पर राजीनामा के आधार पर निराकृत किया जाना स्वीकार किया। इस विवाद की राशि आज की स्थिति में 15093630/–रू है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सीहोर

26 वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नि में 60 वर्ष की आयु में हुआ राजीनामा

सीहोर न्यायालय में लंबित हिन्दू विवाह अधिनियम के एक प्रकरण जिसमें दम्पति जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष होकर पिछले 26 वर्षों से अलग–अलग रह रहे थे और पति द्वारा तलाक का मुकदमा लगाया हुआ था, जिसमें कई बार दोनों के मध्य सुलह वार्ता करवाई गई थी लेकिन नेशनल लोक अदालत में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति एवं अधिवक्ताओं के समझाईश देने के चलते दोनों पति–पत्नि 26 वर्षों बाद अपनी वृद्धावस्था में एक साथ रहने को राजी हुए।

जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण,उमरिया

भाईयों के बीच जमीनीं विवाद का अंत

ालय बीरसिंहपुर पाली के अंतर्गत भाईयों के मध्य जमीन को लेकर विवाद कई वर्षों से न्यायालय में लंबित था, दोनों परिवारों के बीच बोलचाल भी बंद थी। तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों को दिनांक 11 सितम्बर 2021 को न्यायालय परिसर में बुलाया गया, साथ ही इनके मध्य सुलह समझौता के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किया गया। लंबे समय से चल रह मनमुटाव को खत्म करके लोक अदालत के माध्यम से दो सगे भाईयों को आपस में मिलवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,शहडोल

पूर्ववाद प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल की पी. एल.व्ही.के द्वारा सुश्री हेमलता सिंह निवासी शहडोल का प्रकरण पूर्ववाद के रूप में नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया। आवेदिका को अनावेदिका द्वारा अपनी बेटी के घर दिल्ली उनके बच्चों की देखभाल करने हेतु भेज दिया गया था एवं 2018 में आवेदिका कार्य छोड़कर वापस शहडोल आ गयी, कार्य छोड़ने के पश्चात् रूपये 60,000/– वेतन राशि बकाया थी जिसे, सचिव, जिला प्राधिकरण शहडोल के अथक प्रयास द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उभयपक्ष की सहमति से राजीनामा कर आवेदिका को राशि प्रदाय कर पूर्ववाद प्रकरण का निराकरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,अलीराजपुर

नेशनल लोक अदालत न बच्ची को दिलाया माता–पिता का साथ

तहसील न्यायालय जोबट में लंबित एक प्रकरण में पति–पत्नी के मध्य चल रहे मतभेद के कारण आवेदिका ने भरण पोषण हेतु आवेदन प्रस्तु त किया था। दम्पति के बच्ची भो थी। नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी द्वारा पति–पत्नी को पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से समझाया गया, जिससे पति–पत्नी आपसी सहमति से समझौता हेतु तैयार हुए। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत ने बच्ची को माता–पिता का साथ दिलाया।

Public Utility Services

Success Story

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,इंदौर

आवेदक की लंबे समय से चली आ रही शिकायत का मात्र 14 दिनों में समाधान।

आवेदक अभिषेक अग्रवाल नि. इंदौर ने जन उपयोगी लोक अदालत में दिनांक 27.08.2021 में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके घर के पीछे की गली में नगर निगम द्वारा लम्बे समय से सफाई नहीं किये जाने के कारण बैकलेन में गंदगी का पहाड़ बन गया है और चेम्बर चौक हो जाने के फलस्वरूप असहनीय बदबू पूरे समय फैली रहती है जिससे आस–पास के निवासियों को गंभीर बीमारी का खतरा बना रहता है। नगर–निगम के स्थानीय दरोगा एवं झोन कार्यालय, सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी वहां सफाई नहीं की जा रही है। जिस पर जनउपयोगी लोक अदालत द्वारा उक्त आवेदन के सम्बंध में लोक अदालत दिनांक 11.09.2021 में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना–पत्र जारी किया गया।

लोक अदालत के सूचनापत्र प्राप्ति के उपरांत नगर–निगम इंदौर की स्वच्छता शाखा द्वारा आवेदक के निवास स्थान के पीछे की बैकलेन में साफ–सफाई, कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव और धुंआ मशीन से मच्छर नाशक दवा का छिड़काव करते हुए कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आवेदक की लंबे समय से चली आ रही शिकायत का मात्र 14 दिनों में ही समाधान सुनिश्चित हुआ।

आवेदक की ड्रेनेज लाईन चोक होने की शिकायत का लोक अदालत में समाधान।

आवेदक प्रभाष जैन नि. इंदौर ने दिनांक 03.09.2021 को जन उपयोगी लोक अदालत मे इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उनके निवास स्थान की ड्रेनेज लाईन चोक हार रही हैं। जिसके कारण ड्रेनेज का गंदापानी मोहल्ले में भर रहा हैं जिससे उक्त क्षेत्र में गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा हैं। जिसपर जन उपयोगी लोक अदालत द्वारा उक्त आवेदन के सम्बंध में लोक अदालत दिनांक 11.09.2021 में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना–पत्र जारी किया गया।

लोक अदालत के सूचना पत्र प्राप्ति के उपरांत नगर–निगम इंदौर की स्वच्छता शाखा द्वारा आवेदक के निवास स्थान की ड्रेनेज लाईन की साफ–सफाई और कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार शिकायत करने के 07 दिनों के अंदर ही समस्या का निराकरण सुनिश्चित हुआ।

Glimpses of National Lok Adalat (11-09-2021)

DLSA INDORE

DLSA HOSHANGABAD

DLSA DINDORI

DLSA SHEOPUR

DLSA NARSINGHPUR

DLSA DAMOH

DLSA DEWAS

DLSA GWALIOR

DLSA SATNA

DLSA BHOPAL

DLSA VIDISHA

DLSA INDORE

DLSA MANDLA

DLSA SEONI

Launching of "Informative Display Boards"

Under the Nationwide special project of NALSA with Postal Department, Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, The Chief Justice & Patron-in-Chief, MP State Legal Services Authority launched "Informative Display Boards" on 23rd September 2021 in the august presence of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority, Jabalpur, and other Hon'ble the Companion Judges of M.P. High Court. "Informative Display Boards" prepared by MPSLSA for dissemination of information on Legal Aid Services to the public at large in collaboration with Department of Posts across the State of Madhya Pradesh.

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-09-24 | Page- 2
ehitavada.com

'Informative Display Boards' launched by MPSLSA officials

■ Legal Correspondent

Chief Justice Mohammad Rafiq along with other judges launching Informative Display Boards.

UNDER the nation-wide special project of NALSA with Postal Department, Justice Mohammad Rafiq, the Chief Justice and Patron-in-Chief, MP State Legal Services Authority launched 'Informative Display Boards' on September 23 in the presence of Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, MP State Legal Services Authority, Jabalpur, and other the companion judges of MP High Court. 'Informative Display Boards' prepared by MPSLSA for dissemination of information on legal aid services to the public at large in collaboration with Department of Posts across the Madhya Pradesh.

On this occasion, Rajendra Kumar Vani Registrar General M High Court, Dharminder Singh Rathod, Member Secretary, MP State Legal Services Authority, Jitendra Gupta ,Chief Post Master General MP Circle, Manoj Kumar Singh, Additional Secretary and other dignitaries were also present in above programme.

MP State Legal Services Authority and the Postal Department coordinated and collaborated for publicity of schemes related to legal aid services through 'Informative Display Boards' for the Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012 (POCSO), Criteria for giving legal Services under Section 12 of Legal Services Authority Act 1987 and about the rights of common people or person arrested by police and other schemes qua Madhya Pradesh Crime Victim Compensation Scheme 2015, availability of NALSA's Legal Services App etc.

The 'Informative Display Boards' would be display at each and every post offices across the state. Through these Informative Display Boards information regarding Free Legal Aid Services, Rights and Duties will be provided to the weaker sections of society upto remote areas through Post Offices.

Along with this, information regarding services available through the NALSA Mobile Legal Services Application will also be made available to the public all hours of the day.

On this occasion, Shri Rajendra Kumar Vani Registrar General M.P. High Court, Shri Dharminder Singh Rathod, Member Secretary, MP State Legal Services Authority, Mr. Jitendra Gupta ,Chief Postmaster General M.P. Circle, Shri Manoj Kumar Singh, Additional Secretary and other dignitaries were also present in above programme .

M.P. State Legal Services Authority and the Postal Department coordinated & collaborated for publicity of schemes related to legal aid services through" Informative Display Boards" for the Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012 (POCSO), Criteria for giving legal Services under Section 12 of Legal Services Authority Act 1987 and about the rights of common people or person arrested by police and other schemes qua Madhya Pradesh Crime Victim Compensation Scheme 2015, availability of NALSA's Legal Services App etc. The " Informative Display Boards" would be display at each and every post offices across the state.

Through these Informative Display Boards information regarding Free Legal Aid Services, Rights and Duties will be provided to the weaker sections of society upto remote areas through Post Offices. Along with this, information regarding services available through NALSA Mobile Legal Services Application will also be made available to the public.

Glimpses of launching Programme

DLSA CHINNDWARA

DLSA DHAR

DLSA DAMOH

DLSA GUNA

DLSA INDORE

DLSA JABALPUR

DLSA JHABUA

DLSA KATNI

DLSA MANDLA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA SAGAR

DLSA SHAHDOL

DLSA SEONI

DLSA SHIVPURI

DLSA UJJAIN

DLSA RAJGARH

DLSA SHIVPURI

DLSA SEHORE

Inauguration of One day Special Legal Awareness Campaign

Under the aegis of NALSA, a State wide one day Special Legal Awareness Campaign organized on 17.09.2021 for spreading awareness among the people by means of organizing Public Awareness Campaign, Public Awareness through Legal Aid Clinics & providing legal aid/advice. With the object of Access to Justice for all Member Secretary Shri Dharminder Singh Rathod flagged off the said programme by waving flag to Publicity Van.

The Publicity Van commenced its journey from State Legal Services Authority and visited to Silua, Chowkla, Barabati, Barha, Pipariya, Samadhi, Chhatarpur, Deori, Basaniya, Calvas, Ghana, Rosra, Bandarpura, Padaria to Barela etc. disseminating information of Schemes of NALSA & SLSA through Loudspeaker and distributed pamphlets by PLVs. Apart from this five Legal Aid Clinics were also held to assist the public.

On this occasion, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava Deputy Secretary, Shri Zeeshan Khan, Shri Jitendra Mohan Dhurve, Shri Muhammad Jilani Legal Aid Officers, Advocates, Para-Legal Volunteers were also present in the said program.

Awareness Programme flagged off by Member Secretary, MPSLSA

GLIMPSES OF AWARENESS PROGRAMME

DLSA UJJAIN

DLSA NARSINGHPUR

DLSA ASHOKNAGAR

DLSA ANUPPUR

DLSA DAMOH

DLSA SHAHDOL

DLSA ALIRAJPUR

DLSA NEEMUCH

DLSA SEHORE

DLSA VIDISHA

DLSA CHHINDWARA

DLSA TIKAMGARH

DLSA REWA

DLSA INDORE

DLSA KHANDWA

DLSA UMARIA

DLSA KATNI

DLSA RATLAM

DLSA SEONI

DLSA BHOPAL

DLSA SIDHI

DLSA GWALIOR

DLSA RAJGARH

DLSA BURHANPUR

DLSA SATNA

DLSA DINDORI

DLSA BHIND

DLSA SAGAR

DLSA BETUL

DLSA DEWAS

STATISTICAL REPORT

1. Deployment of Mobile Vans

Number of Mobile Vans	Number of Districts Covered	Number of Villages/Gram Panchayats covered	Number of persons covered	Outcome of deployment of vans
30	21	195	18732	Dissemination of information to the villagers regarding legal aid activities and implementation of their rights

2. Legal Aid Clinics/Camps for beneficiaries

Number of Districts covered	Number of Legal Aid Clinics organised	Number of PLVs/Panel Lawyers deployed	Number of beneficiaries covered	Broad nature and number of advice rendered
48	281	508	8743	1. Informed about legal aid activities and drafting of legal aid application and them to concerened department through these clinics 2. No of Advice Rendered -2031

3. Legal Aid Awareness Programmes

Number of Districts covered	Number of Villages/Gram Panchayats covered	Number of Camps held	Number of persons covered	Outcome of efforts
	431	426	20228	1. Informed about activities of leagal services institutions and filling of applications through Nalsa legal services apps. 2. Also informed peoples about Nalsa schemes, victim compensation scheme, Free legal aid and advice scheme and law relating to labours.

INAUGURATION OF COMMUNITY MEDIATION CENTRE AT BARGI NAGAR - DISTRICT JABALPUR

Under the guidance of Hon’ble Shri Justice Mohammad Rafiq, the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh & Patron-in-Chief, MPSLSA and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Judge, M.P. High Court and Hon’ble Executive Chairman, MP State Legal Services Authority, community Mediation centre is inaugurated at Bargi Nagar District Jabalpur by Shri Dharminder Singh Rathod, Member Secretary MP State Legal Services Authority.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-09-16 | Page- 4

ehitavada.com

Community Mediation Centre inaugurated at Bargi Nagar

SLDC officers during the inauguration of Community Mediation Centre.

Legal Correspondent

COMMUNITY Mediation Centre was inaugurated at Bargi Nagar, on Wednesday.

Under the guidance of Justice Mohammad Rafiq, the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh and Patron-in-Chief, MPSLSA and Justice Prakash Shrivastava, Judge, MP High Court and Executive Chairman, MP State Legal Services Authority (MPSLSA), a Community Mediation Centre was inaugurated at Bargi Nagar District Jabalpur at the hands of Dharminder Singh Rathod, Member Secretary, MP State Legal Services Authority.

On this Occasion, Dharminder Singh Rathod, Member Secretary addressed that MPSLSA has adopted the Community Mediation Programme, which is a flagship programme of MP State Legal Services Authority and it offers simple, quick and easy resolution of disputes.

It can be adopted for all civil disputes - family matters, among many other kinds of disputes. Further, it enables parties to arrive at a win-win formula as there is no winner or loser and it offers confidentiality avoids hostility, restoration of trust between people. With procedural flexibility as compared to court procedures, considerable time and money is saved. He also gave the answers of questions asked by present people. Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Manish Singh Thakur Secretary DLSA, Jabalpur, Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Zeeshan Khan, Mohammad Jilani, District Legal Aid Officers, Sheikh Manzoor, Advocate Jabalpur, Panchdev Mehto, Sarpanch, Gram Panchayat Harduli, Parvez Khan, trained community mediation volunteer were also present at the event. The programme was also addressed by Additional Secretary MPSLSA, Manoj Kumar Singh and Secretary DLSA, Jabalpur and Sheikh Manzoor, Advocate Jabalpur.

Powered by iDocuments

On this Occassion Shri Dharminder Singh Rathod, Member Secretary addressed that MPSLSA has adopted the Community Mediation Programme, which is a flagship programme of MP State Legal Services Authority and it offers simple, quick and easy resolution of disputes. It can be adopted for all civil disputes - family matters, among many other kinds of disputes. Further, it enables parties to arrive at a win-win formula as there is no winner or loser and it offers confidentiality avoids hostility, restoration of trust between people. With procedural flexibility as compared to court procedures, considerable time and money is saved. He also gave the answers of questions asked by present people.

Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Manish Singh Thakur Secretary DLSA, Jabalpur, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Shri Zeeshan Khan, Shri Mohammad Jilani, District Legal Aid Officers , Shri Sheikh Manzoor, Advocate Jabalpur, Shri Panchdev Mehto, Sarpanch, Gram Panchayat Harduli, Shri Parvez Khan, trained community mediation volunteer were also present in the inauguration program.

The programme was also addressed by the Additional Secretary MPSLSA Shri Manoj Kumar Singh and Secretary DLSA, Jabalpur and Shri Sheikh Manzoor, Advocate Jabalpur.

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम
आयोजक - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम

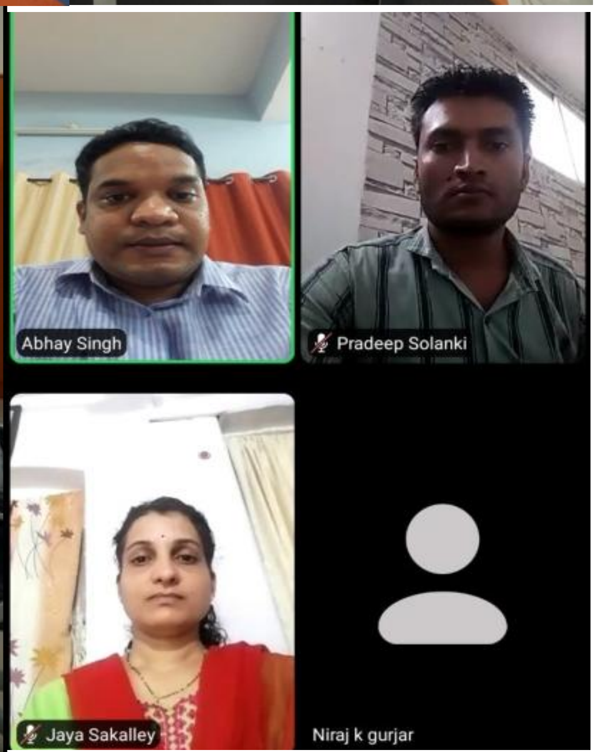
Abhay Singh
Pradeep Solanki
Jaya Sakalley
Niraj k gurjar

"मीडियेशन जागरूकता कार्यक्रम"
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय श्योपुर (म.प्र.)

मीडियेशन जागरूकता शिविर

जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला-रायसेन
मध्य प्रदेश

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिये विधिक सेवाएं) योजना, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

माननीय उच्च न्यायालय की पहल से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों को जागरूक किये जाने का उठाया बीड़ा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा **माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर** द्वारा **एमसीआरसी नं. 7070/2021 रवि अहिरवार बनाम मध्यप्रदेश शासन** में प्रदत्त दिशा–निदेशों के अनुपालन में दिनांक **15.09.2021** को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी में श्रम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सभी अधिकारियों को लघु फिल्म **''उड़ने दो''** का स्कूल एवं अन्य संस्थानों में जागरूकता शिविरों में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराये जाने एवं संपूर्ण जिले में अधिक से अधिक बच्चों को विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से जागरूक किये जाने हेतु रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त बैठक में सभी अधिकारियों से अपील की गयी कि बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुये ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने की आवश्यकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 13.09.2021 को बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना अंतर्गत चाइल्ड लाइन नरसिंहपुर के वालेंटियर के सहयोग से 15 से अधिक बच्चों के साथ खेलकूद एवं नैतिक शिक्षा पर शिविर आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

शाला त्यागी बच्चों का सर्वेक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा शिक्षा विभाग के समन्वय से शाला त्यागी बच्चों के संबंध में संपूर्ण जिले में अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत जो बच्चे गरीबी, मजदूरी, विवाह हो जाने, आर्थिक परिस्थितियों के कारण अथवा अन्य कारणवश अध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके परिवार को कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत शहडोल जिले में वर्तमान तक लगभग 2000 से अधिक परिवारों से संपर्क किया जा चुका है, उक्त प्रयास के परिणामस्वरूप कुछ बच्चों द्वारा स्कूल में प्रवेश करवा लिया गया है और शेष बच्चों के प्रवेश संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

किशोर न्याय अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा एडीआर भवन में किशोर न्याय अधिनियम विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम, बालको के प्रति दृष्टिकोण, बाल कल्याण समिति–बाल कल्याण अधिकारी–परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका, बालक के विधि के विरोध में कार्य करने पर जांच, विवेचना में किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत विशेष प्रक्रियाओं का पालन, बालक की पहचान छिपाने, निःशुल्क विधिक सहायता योजना विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

उक्त कार्यशाला में महिला थाने की निरीक्षक, बाल संरक्षण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक कार्यकता, जिले के समस्त बाल कल्याण अधिकारी, पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

तहसील विधिक सेवा समिति पाठन द्वारा तान्या कान्वेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल पाटन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा स्कूल के छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों को विधि संबंधी जानकारी प्रदान की गई एवं बालिका शिक्षा की आवश्यकता व बालिका शिक्षा से स्वस्थ समाज के निर्माण पर विस्तृत व्याख्यान दिया। इस अवसर पर विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रमाण पत्र व पुरूस्कार वितरण कर प्रोत्साहित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा दिनांक 25.09.2021 को गोदी शिशु गृह गौहरगंज का ऑनलाईन निरीक्षण किया गया, तत्समय अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति गौहरगंज स्वयं निरीक्षण हेतु उपस्थित रही। निरीक्षण के दौरान वहां उपस्थित बच्चों से और प्रबंधन से उनके कुशलक्षेम के बारे में पूछा गया और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश दिये गये। इस शिशु गृह की स्वच्छता आर खाने की गुणवत्ता के संबंध में जांच की गई। निरीक्षण के दौरान शिशु गृह की सीढियो के टूटे टाईल्स को यथाशीघ्र सुधरवाने हेतु निर्देश दिये गये है।

Visits cum Legal Literacy Camp at Child Care & Educational Institutions

विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर

विधिक जागरूकता शिविर
REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA
2021/9/21 14:43

दतिया के तत्वाधान में

विधिक साक्षरता शिविर
कानूनी साक्षरता हटाये दुर्बलता

अखिल भारतीय जागरूकता एवं प्रसार कार्यक्रम की तैयारी हेतु बैठक का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक में जिले के समस्त विभागों के विभाग प्रमुख सम्मिलित रहे। बैठक में दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से 14 नबम्बर 2021 तक आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव में घर–घर तक विधिक जागरूकता की अलख जगाने हेतु सभी विभागों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण उपरांत शामिल करने एवं वृहद मेला आयोजन हेतु स्थानों का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Trainings & Webinars

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा पुलिस मुख्यालय भोपाल मे दिनांक 23.09.2021 को 2 दिवसीय महिला अपराध अनुंसधान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर महिला अपराध की विवेचना मे संवेदनशीलता रखने के निर्देश दिये गये। उक्त आयोजन मे पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे । प्रशिक्षुओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल के सचिव की उपस्थिति में दिनांक 15.09.2021 को सरोजिनी नायडु कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल में ऑनलाईन ओरियेन्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लीगल ऐड क्लीनीक के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर चर्चा की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के संबंध में वी0वी0गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित –online Capacity Building Programme on " Adderssing Source State Vulnerabilty of Workers to Disatress Trafficking, Child Labour and Bonded Labour " to be organized during September 01-03 Sep 2021 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर की ओर से चयनित पैरालीगल वालेन्टियर्स द्वारा तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहभागिता की गयी ।

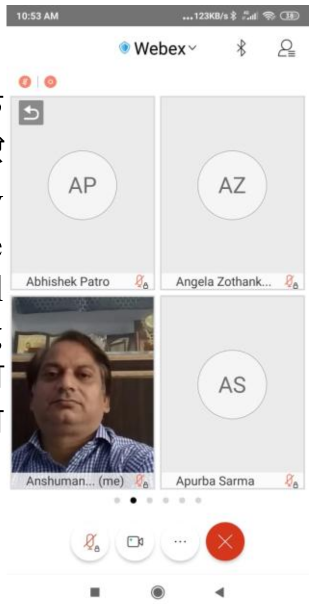

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा दिनांक 13–09–2021 को भारतीय स्टेट बैंक के समन्वय से न्यायिक कर्मचारीगण के लिए मध्यस्थता केन्द्र देवास में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

उक्त शिविर में न्यायिक कर्मचारीगण को बैंक अधिकारियों ने ऑनलाईन ठगी से बचने, बैंक खातों की ऑनलाईन संचालन प्रक्रिया एवं एटीएम फ्रॉड से बचने, डेबिट कार्ड के ऑनलाईन उपयोग में सावधानी आदि के बारे में जागरूक किया गया।

Glimpses of Training Programme

DLSA MANDLESHWAR

DLSA NARSIHPUR

DLSA SHAHDOL

DLSA SHIVPURI

Reaching out to Jail Inmates

Glimpses of Awareness Camps & Inspection in Jails

जिला जेल इन्दौर
आपका हार्दिक स्वागत
विधिक साक्षरता शिविर

CAMERA

OPPO F9 Pro
2021/09/21 11:51

विधिक साक्षरता
शिविर

कानूनी साक्षरता
हटाये दुर्बलता

जेल की पाती

(1)
बंदी हर पल सोच रहा हैं।
चिंता में समय बीत रहा है।
कैंसे निकाल पाउंगा मैं।
कैसे घर जा पाउंगा मैं।
मॉ, बाबूजी, भाई–बहन कैसे रहते होंगे घर में
बंदी हर पल सोच रहा हैं।
चिंता में समय बीत रहा है।
(2)
कैसे भी करके एक बार निकल पाउं मैं।
जीवन में कुछ तो अच्छा कर पाउं मैं।
बंदी को जीवन संवारने का मौका मिलना चाहिए।
बंदी की प्रार्थना न्यायाधीश को सुनना चाहिए।
बंदी हर पल सोच रहा हैं।
चिंता में समय बीत रहा है।
(3)
न खान–पान अच्छा लगता है।

न राग–रंग मन को भाता है।
दुखः ही दुखः मन हो जाता है।
बंदी हर पल सोच रहा हैं।
चिंता में समय बीत रहा है।
(4)
बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताये।
काम बिगारे आपनो, जग में होत हसाये।
जग में होत हसाये, चित में चैन न पाये।

विचाराधीन बंदी मोनू भार्गव
जिला जेल रायसेन

Panch-J

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर

दिनांक 09.09.2021 को ब्रम्हकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जिला न्यायालय परिसर व अन्य चयनित स्थानों से फलदार वृक्ष जैसे अमरूद तेल इत्यादि वृक्षारोपण ब्रम्हकुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,दमोह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा

औंकारेश्वर स्थित नागर घाट व अभय घाट पर नर्मदा स्वच्छता अभियान।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,खण्डवा एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी के समन्वय से नगर परिषद मांधाता के स्वच्छता टीम, नागर घाट के स्वंयसेवी संगठन के द्वारा दिनांक 07.09.2021 एवं दिनांक 21.09.2021 को मांधाता (औंकारेश्वर) जिला खण्डवा (म0प्र0) में स्थित नर्मदा नदी के नागर घाट व अभय घाट पर नर्मदा स्वच्छता के नियमित अभियान के अन्तर्गत साफ–सफाई कराई गयी।

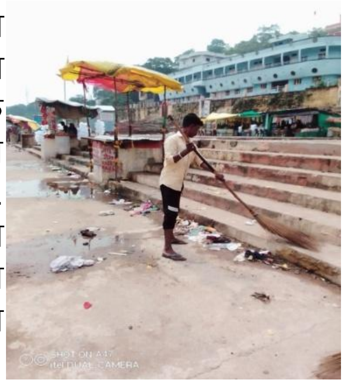

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडलेश्वर

मंडलेश्वर स्थित घाट पर नर्मदा स्वच्छता अभियान।

दिनांक 14 सितम्बर 2021 को नर्मदा नदी मण्डलेश्वर के घाट की स्वच्छता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर के जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा विशेष स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान का आयोजन नगर परिषद् मण्डलेश्वर के सहयोग से किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

पंच ज शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल द्वारा ग्राम कंचनपुर में पंच 'ज' के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, पशु विभाग, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि, पैरालीगल वालेंटियर एवं अन्य वरिष्ठ नागरिक, महिलाये उपस्थित रहें।

उक्त कार्यक्रम में कृषि विभाग से संचालित योजनाओं,जैविक खेती की उपयोगिता, बलराम योजना, गोबर गैस, पोषण वाटिका, पशुओं से संबंधित रोजगार, मुर्गी–पालन आदि की जानकारी देते हुये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लॉन्च लीगल सर्विसेस ऐप के बारे में लोगो को जागरूक कर डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

दुर्लभ प्रजाति की चील का करवाया रेस्क्यू

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के समीप एक चील घायल अवस्था में दिखाई दी जो लगातार ऊपर उड़ने का प्रयास कर रही थी परंतु कांच की खिड़की के बीच फंसे होने के कारण उड़ते ही गिर पड़ती थी जिससे वह बहुत चोटग्रस्त हो चुकी थी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना मिलने पर उन्होंने तत्काल वन विभाग से समन्वय स्थापित कर घायल चील का रेस्क्यू करवाकर उचित उपचार हेतु वन विभाग को सुपुर्द किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

पैरालीगल वालेंटियर द्वारा घायल बंदर का उपचार कराया गया।

सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर के पास एक बंदर को करंट लग गया जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और यह सूचना वहां के रहवासी द्वारा मिलते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के पैरालीगल वालेंटियर और उनकी टीम के सदस्य तुरंत मौके पर पहुँचकर घायल बंदर का उपचार कराया और बंदर को वन विभाग के सुपुर्द किया गया।

Camps for Labours....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

माईसेम सीमेंट फैक्ट्री इमलाई में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा माईसेम सीमेंट फैक्ट्री ग्राम इमलाई में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्रम विभाग के सहयोग से किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्रम निरीक्षक, जनसाहस संस्था के प्रतिनिधि अधिवक्ता एवं श्रमिकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्रम कानूनों, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2015, नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक सेवाऐं योजना) 2015, श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ आदि की जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा ग्राम पंचायत सिमरी में नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहें। कार्यक्रम में नालसा की नशा उन्मूलन योजना, नशे के दुष्प्रभावों, विधिक सेवा योजनाओं आदि की जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु श्रमिक चौक, चंदन नगर, इन्दौर में श्रमिकों को निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, श्रमिक विधिक सहायता प्रकोष्ठ एवं लोकोपयोगी लोक अदालत के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा दिनांक 22.09.2021 को स्कीम नं 140, बस्ती, इंदौर में नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवायें) एवं नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विधिक सेवायें) योजना, 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें श्रोताओं को विशेष रूप से नालसा लीगल सर्विस ऐप को डाऊनलोड करवाया गया एवं विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।

Camp and Meeting under NALSA Poverty alleviation Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 17.09.2021 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गयी ।

उक्त बैठक मे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा रिट प्रीटिशन कमांक 1930/2020 मे पारित आदेश तथा नालसा की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी एवं नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रावधानो से अवगत कराया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा जनसाहस के समन्वय से न्यू दमोह बाईपास रोड के समीप नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, जनसाहस से पदाधिकारीगण एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में जनसाहस संस्था के सहयोग से प्रवासी मजदूरों एवं गरीब वर्ग के व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण किया गया तथा उपस्थित आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, गरीबी उन्मूलन योजना, लोक अदालत के लाभ, मीडिएशन योजना, परिवाद विवाद समाधान केन्द्र एवं म0प्र0 शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ के संबंध में जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा टीकाकरण शिविरों का आयोजन

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जानकारी दी तथा आमजन में वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को दूर कर लोगों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया गया।

DLSA HOSHANGABAD

DLSA BETUL

DLSA SEHORE

DLSA CHHINDWARA

DLSA RAISEN

DLSA SHEOPUR

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स के सहयोग से दिनांक 17. 09.2021 को ग्राम उमरिया में टीकाकरण अभियान चलाया गया। जनजातीय क्षेत्र होने के कारण टीकाकरण के प्रति लोगों में भ्रम था। जिसे दूर कर उन्हें टोका लगाने हेतु प्रेरित किया गया। वृद्धजनों को टीका केन्द्र तक ले जाकर टीका लगवाया गया। ग्राम उमरिया से 04 अत्यंत निशक्त वृद्धजन को गाड़ी में बैठकर ग्राम बीड टीका केन्द्र ले जाकर टीका लगवाया गया। ग्राम के कुल 29 लोगों को टीका लगवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

Medical Camp....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा दिनांक 13.09.2021 को जिला अधिवक्ता संघ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल के संयुक्त तत्वाधान में जिला न्यायालय परिसर बैतूल में चिकित्सकोय टीम द्वारा नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 विषय पर मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण/सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल, न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं व न्यायालयीन कर्मचारियों सहित कुल 60 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें से 10 मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी सम्मिलित है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट द्वारा दिनांक 26.09.2021 को जिला पंचायत बगदरा के ग्राम पंचायत भवन में ''हम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य सह विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम में मध्यस्थता द्वारा विवादों के निराकरण के महत्व, महिलाओं के अधिकारों, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। हम फाउंडेशन के सदस्यगण द्वारा उपस्थित जनसमुदाय के स्वास्थ्य की जांच की जाकर उन्हें आवश्यक सलाह व दवाईयां वितरित की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशिष्ट गतिविधियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर

कोविड–19 से अपनों को खोने वाले 30 परिवारों को प्रदाय की गई राशन सामग्री

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2021 को युवा विकास मण्डल भोपाल के समन्वय से ए.डी.आर. सेंटर में कोविड–19 से पीड़ित परिवारों को राशन सामग्री वितरण करने एवं नालसा, सालसा व शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को पहुंचाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में कोविड–19 से पीड़ित उपस्थित परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई।

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड–19 महामारी के कारण जिन परिवारों में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की क्षति हुई है उन परिवारों के लिए रोजगार के अवसर तलाशने, उनके बच्चों की शिक्षा आदि के लिये प्रशासनिक स्तर पर विधि अनुसार यथा संभव मदद दिलाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया।

उक्त शिविर के दौरान विशेष न्यायाधीश द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम व बालकों के महिलाओं से संबंधित प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदाय की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आकाशवाणी केंद्र भोपाल के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में लगाए गए इंनफोरमेंशन डिस्प्लेय बोर्ड के संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जानकारी दी गई साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में भी जानकारी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा ग्राम दामजीपुरा तहसील भैंसदेही जिला बैतूल में दिनांक 12.09.2021 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त रक्तदान शिविर में ग्रामवासियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल के पैरालीगल वॉलेंटियर तथा अन्य व्यक्तियों व महिलाओं द्वारा आगे आकर रक्तदान किया गया। उक्त रक्तदान शिविर में 27 पुरूष एवं 03 महिलाओं कुल 30 व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। उक्त रक्तदान में कुल 30 यूनिट रक्त जमा किया गया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण–पत्र भी वितरित किये गये।

नालसा लीगल सर्विस एप का प्रचार-प्रसार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल द्वारा नालसा लीगल सर्विस एप के संबंध में पैरालीगल वॉलेंटियर्स के माध्यम से आम जन को जागरूक किया गया साथ ही इस एप को इंस्टाल करवाया जाकर एप के माध्यम से किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है इस संबंध में जानकारी भी दी गई।

नालसा लीगल सर्विस एप के संबंध जानकारी प्रदान करते हुए पैरालीगल वॉलेंटियर्स

Compensation to Victims....

District Legal Services Authority, Jabalpur

Compensation of More than 14 lakh awarded under Victim Compensation Scheme

Jabalpur Dlsa has taken prominent steps for providing compensation to the victims under MP Victim Compensation Scheme, 2015 . The Committee comprising District Collector, SP and others presided by the Principal District and Sessions Judge has awarded total amount of Rs 14,32,500 as compensation to victims in 08 cases.

- Masks will be mandatory for all children, teachers and staff.
- Bus and school premises will be sanitised.
- There will be no gathering for morning prayers.
- Children will not gather at one place during lunch time.
- Children will have to follow a six-feet distance as the school ends.
- Children will be admitted to the school with the consent of the parents.

...tic response to JSCL's cycle rally

Senior officials of various institutions, students and volunteers participating in the cycle rally.

On the occasion, Arjun Awardee Madhu Yadav was also present. A number of cyclists enthusiastically participated in the rally conducted under the #Cycle4Change campaign run by the Government of India.

In this rally, Assistant Commissioner Sambhav Ayachi, Ankur Khare, Balendra Shukla, Abhishek Dubey, Seija Sulere, Gajendra Singh, Yogesh Bhalerao, Sunil Namdev and members of Smart City and Food Safety (Contd on page 2)

...certificate matter of IAS officer

the respondent, they deem it proper to dispose of the writ petition with a direction to the Collector (Administrator), Burhanpur, to consider and decide the representation of the petitioner within a period of four weeks, the division bench said in the order.

More than 14 lakh ...ayed under Victim Compensation Scheme by DLSA

JABALPUR DLSA has taken prominent steps for providing compensation to the victims of different criminal cases under MP Victim Compensation Scheme, 2015. The Committee, comprising District Collector Karanveer Sharma, SP Siddharth Bahuguna and others, presided by the Principal District and Sessions Judge Naveen Kumar Saxena, has approved total amount of Rs 14,32,500 as compensation to such victims.

Manish Singh Thakur, Secretary of the District Legal Services Authority Jabalpur informed that as many as eight cases were placed before the committee, in which total amount of Rs 14,32,500 compensation was approved by the committee.

In the cases, compensation amount is sanctioned because the bread earners of their families were murdered and trial court had recommended to provide appropriate compensation. Cases regarding the victims of sexual assault had also been considered, in which about six lakh rupees approved to provide as compensation to the prosecutrix of that crimes.

Committee members examining documents to approve aid under MP Victim Compensation Scheme.

Camps for Women

District Legal Services Authority, Jabalpur

Legal Literacy Camp Held at One Stop Center

A legal literacy camp was organized at One Stop Center Jabalpur by District Legal Services Authority, Jabalpur.

In said programme various informations regarding women's rights, different provisions of free legal Services and entitlement under the victim compensation scheme, etc. given to the public. Specifically information regarding NALSA legal Services mobile app, which has been launched by National Legal Services Authority, New Delhi, was also given on this occasion. Secretary , District Legal Aid Officer, Administrator of One Stop Center along with the officials and other women were present.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा दिनांक 13.09.2021 को वन स्टॉप सेंटर बैतूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर के दौरान वहाँ उपस्थित पक्षकारों को समझाईश दी गई कि वह आपसी विवाद को खत्म कर खुशी से अपने घर जाये और न्यायालयीन प्रक्रिया से बचे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट द्वारा दिनांक 24.09.2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत कलेक्टट सभागार, बालाघाट में व्यंजन प्रतियोगिता समारोह के साथ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा दिनांक 22/09/2021 को वन स्टॉप सेन्टर, इन्दौर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सेन्टर में 03 महिलाएँ एवं उनके 03 बच्चे उनके साथ निवासरत मिले।

उक्त निरीक्षण उपरांत सचिव, जिला प्राधिकरण द्वारा घर से भाग कर आई आश्रयरत एक महिला व उसके पति तथा एक अन्य महिला की काउंसलिंग भी की गई तथा उन्हें न्यायालय में मामला चलाने हेतु आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी गई एवं वन स्टॉप सेन्टर प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए।

s

DLSA DEWAS

DLSA SHAHDOL

DLSA SHIVPURI

ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितार्थ शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा दिनांक 14.09.2021 को ट्रांसजेन्डरों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैत्ल, जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा पी.एल.व्ही की उपस्थिति में बैतूल शहर के सभी ट्रांसजेन्डरो के वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं ट्रांसजेन्डर कार्ड बनाये जाने के संबंध में ए.डी.आर. भवन जिला बैतूल के सभाकक्ष में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ट्रांसजेन्डरो से उनके वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं ट्रांसजेन्डर कार्ड बने है अथवा नही पुछे जाने पर अधिकांश ट्रांसजेन्डरो द्वारा कोई भी दस्तावेज नही होना बताया गया। इस संबंध में तहसीलदार बैतूल से तत्काल दूरभाष पर चर्चा की गई एवं सभी ट्रांसजेन्डरों के उक्त दस्तावेजों को बनाये जाने के संबंध में चर्चा कर आवश्यक पत्राचार किया गया। उक्त कार्य के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल पैरालीगल वॉलेटियर को नियुक्त किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13–09–2021 को नगर निगम एवं सामाजिक न्याय विभाग देवास के समन्वय से एडीआर सेंटर देवास नगर निगम सीमा में निवासरत ट्रांसजेंडर के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियो को उनके अधिकारों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार 07 ट्रांसजेंडर व्यक्तियो के पहचान पत्र, राशन प्राप्त करने हेतु पात्रता पर्ची आदि जिला कलेक्टर के समन्वय से बनवाए जाकर वितरित भी किए गए एवं ट्रांसजेंडर एक्ट भी वितरित किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उनके अधिकारो एवं नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उक्त कार्यक्रम उपरांत उपस्थित ट्रांसजेंडर व्यक्तियो को पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधा वितरण किया जाकर।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

1. ट्रांसजेंडर के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पहचान संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के निर्माण हेतु समस्त पैरालीगल वालेंटियरर्स के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया

2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा जिले जबलपुर में निवासरत ट्रांसजेंडर के घर–घर जाकर पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाये जाने के लिए सर्वे कार्य किया जा रहा है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 10027/21, नूरी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.08.21 में दिए गए दिशा निर्देशों तथा इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देश के पालन हेतु जिला रायसेन में ट्रांसजेंडर्स का सर्वे करने और उनके परिचय पत्र, ट्रांसजेंडर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि बनवाने में मदद करने के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर गुरु करीना के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 28.08.2021 को एडीआर भवन रायसेन में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में इस काम के लिए नामित पैरा लीगल वॉलेंटियर भी उपस्थित रहे। बैठक में जिला रायसेन के समस्त किन्नरों का सर्वे कराकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में उनके समस्त प्रकार के कार्ड तैयार करने की योजना पर विचार किया गया। बैठक में जिज्ञासा एनजीओ संस्थान के संचालक उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा एडीआर भवन रीवा में ट्रांसजेंडरो हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा ने अपने वक्तव्य में ट्रांसजेंडरों के अधिकार विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को वो सभी न्यायिक एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जो देश के आम नागरिकों को प्राप्त है। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ट्रांसजेंडर के अधिकार संरक्षण कानून 2019 के विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि उनके साथ समाज में किसी भी तरह का लिंगभेद अपराध की श्रेणी में आता है और विधिविरूद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके भी मानवाधिकार सामान्य नर एवं नारियों के समान ही है। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किए गए है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने निःशुल्क विधिक सहायता व नालसा व सालसा की योजना को जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर शिविर में रीवा के ट्रांसजेड़र समुदाय के लोग उपस्थित थे।

ट्रांसजेंडरों के साथ भेदभाव किया जाना गैर कानूनी है

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को दी विधिक जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी WP 10027 –2021 के निर्देशों का पालन करते हुए भोपाल जिले में निवास करने वाले समस्त ट्रांसजेंडर का परिचय पत्र, ट्रांसजेंडर कार्ड, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड बनाए जाने हेतु भोपाल की पी. एल. वी ट्रांसजेंडर संजना सिंह एवं जूली मंगलवारा के साथ बैठक आयोजित की उक्त बैठक में संजना सिंह पीएल वी को यह निर्देशित किया गया कि भोपाल जिले के समस्त ट्रांसजेंडर के नाम आयु पता एवं मोबाइल नंबर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे उनके ट्रांसजेंडर कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड बनाए जा सके ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर द्वारा ए.डी.आर. सेंटर भवन में नगरपालिका सीमाक्षेत्र में निवासरत ट्रांसजेण्डर के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में ट्रांसजेण्डर को उनके अधिकारों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी एवं उनके ट्रांसजेण्डर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाये जाने के संबंध में जागरूक किया एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रांसजेण्डर के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की छायाप्रति भी प्रदान की गई एवं नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उक्त शिविर में पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें पौधे भी वितरित किए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा द्वारा दिनांक 15 सितंबर 2021 ट्रांसजेंडरों के हित के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ट्रांसजेंडरों के वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड और रा" ान कार्ड के अलावा उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। उक्त शिविर में 20 ट्रांसजेंडर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया कि जो भी ट्रांसजेंडर भाासन की सुविधा से वंचित है या उनके पास के कार्ड नही हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार उपलब्ध कराया जावेगा।

नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये विधिक सेवाएं) योजना, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 21.09.2021 को मिशनरी ऑफ चैरिटी निर्मला भवन, काटजू नगर रतलाम में नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर सह निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिसमें मानसिक रूप से पीड़ित असहाय व्यक्तियों के स्वास्थ्य, भोजन, रहन–सहन, साफ–सफाई के संबंध में जानकारी ली गई एवं रहने एवं खाने–पीने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर योग्य निर्देश प्रदान किए गए।

शिविर के दौरान मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तिया के चिकित्सीय अधिकार के बारे में बताया गया एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के प्रावधानों के बारे में तथा विधिक सेवा से संबंधित मोबाईल एप्लीकेशन के बारे में संस्था के कर्मचारीगण को अवगत कराया गया। इस असवर पर सभी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को फल भी वितरित किये गये। उक्त शिविर से लगभग 40 व्यक्ति लाभांवित हुए।

DLSA DATIA

Glimpses of Awareness Camps

समन्वय बैठक

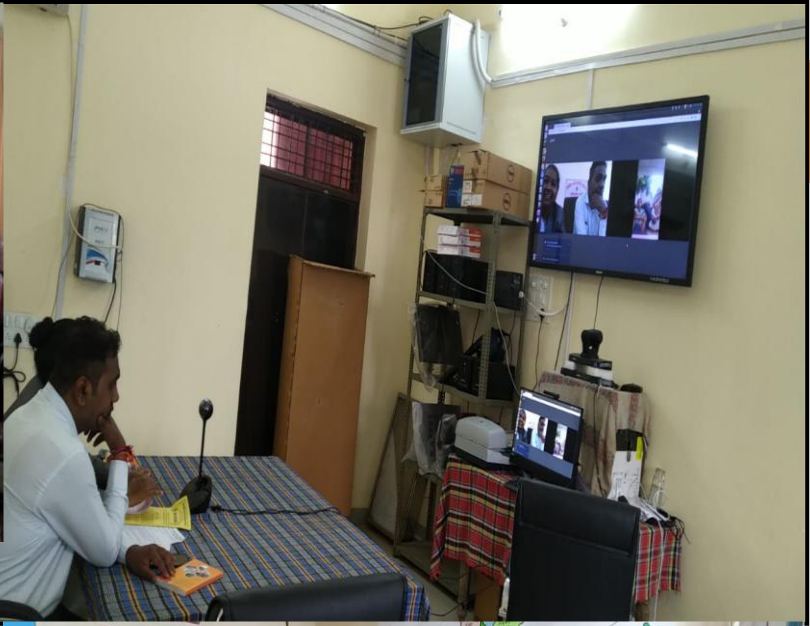

नेत्र/स्वास्थ्य परीक्षण शिविर
एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम

लीगल एड क्लीनिक

नेत्रदान को अपने परिवार की परम्परा बनाईयें
मरणोपरांत नेत्रदान करवायें
नेत्रदान - पखवाड़ा
25 अगस्त से 8 सितम्बर तक
नेत्रदान - पखवाड़ा
25 अगस्त से 8 सितम्बर तक

विधिक साक्षरता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

Camps for Senior citizens under NALSA Scheme

विधिक साक्षरता शिविर

विधिक साक्षरता
एवं जागरुकता शिविर
LEGAL LITERACY AND AWARENESS CAMP
आशाधाम
(वृद्धाश्रम)

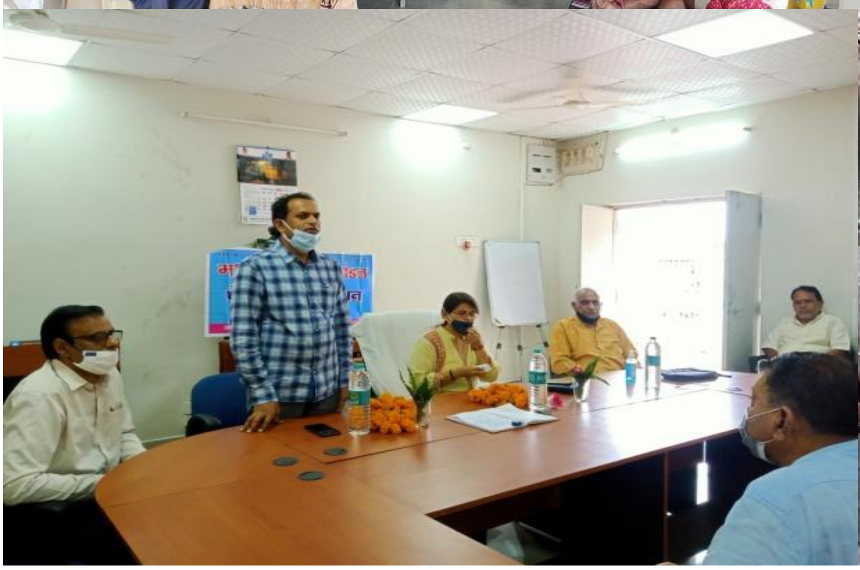

विधिक साक्षरता कार्यक्रम
हिन्दी दिवस
(15.09.2021)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा दिनांक 15.09.2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालाघाट में विधिक जागरूकता शिविर के साथ हिंदी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के समन्वय से हिंदी लेखन एवं रामचरितमानस के सस्वर पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिन्दी के महत्व, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के संबंध में बताया गया, इसके अतिरिक्त नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। विद्यालय में विधिक जागरूकता के साथ–साथ आयोजित शुद्ध लेखन एवं गायन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को पुरूस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदाय किये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह द्वारा दिनांक 14.09.2021 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एवं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर विधिक जागरूकता शिविर एवं पंच–ज

अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह में कराया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, सदस्य बाल कल्याण समिति, शिक्षकगण एवं समस्त छात्र/छात्रायें उपस्थित रहे। छात्रों को हिंदी के इतिहास एवं महत्व, पॉक्सो एक्ट, गुड टच/बेड टच आदि के बारे में जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा दिनांक 14–09–2021 को उत्कृष्ट विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर एवं उत्कृष्ट विद्यालय में गठित विधिक साक्षरता क्लब के माध्यम से हिन्दी दिवस के अवसर पर तात्कालिक भाषण, श्रुत लेख काव्यपाठ, मुहावरा अभिव्यक्ति, पद/दोहा गायन एवं स्वरचित कविता एवं कहानी प्रतियोगिता एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समस्त छात्र छात्राओं को पेन वितरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर मंगलयत्न विश्वविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,खण्डवा द्वारा दिनांक 14.09.2021 को अध्यक्ष, सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी की उपयोगिता, हिन्दी साहित्य संवाद एवं गोष्टी कार्यक्रम व नालसा एप व विधिक सेवा योजना आदि के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडलेश्वर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडलेश्वर द्वारा दिनांक 14.09.2021 को जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में हिन्दी दिवस के अवसर पर महात्मागांधी शासकीय स्कूल मण्डलेश्वर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी भाषा के गौरवशाली इतिहास तथा महत्व को बताते हुये अन्य विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्राचार्य, शिक्षकगण, पैरालीगल वालेंटीयर्स एवं बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहें।

विधिक साक्षरता कार्यक्रम शिक्षक दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (05.09.2021—08.09.2021)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के द्वारा जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में कोविड–19 गाईड लाइन का पालन करते हुए दिनांक 05–09–2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्राथमिक विद्यालय नराना में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,खंडवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा दिनांक 05.09.2021 को सचिव एव जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में शिक्षक दिवस के अवसर पर बालकों के अधिकार, शिक्षा का महत्व ,भारत का अमृत महोत्सव, नालसा की योजना आदि के संबंध में अम्बेडकर कोंचिंग सेंटर, गणेश तलाई, जिला खण्डवा म0प्र0 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी द्वारा दिनांक **08.09.2021** को शासकीय मॉडल स्कूल झिंझरी कटनी में **अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस** के अवसर पर सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी, शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

उक्त अवसर पर बच्चों को उनके मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में जानकारी दी गई।

सफलता की कहानी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार

''डंपिंग ग्राउण्ड मनावर के सुधार हेतु की गई अनूठी पहल ''

विगत कई दिनों से जिला धार की तहसील मनावर स्थित डंपिग ग्राउण्ड की अव्यवस्था से संबंधित जिला प्राधिकरण धार को मौखिक शिकायतें/आवेदन प्राप्त हो रहे है। इसको गम्भीरता से लेते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा मनावर क्षेत्र के स्थानीय पीएलवी को डंपिग ग्राउण्ड का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देशित किया गया। जिसके पालन में दिनांक 26.07.21 को पीएलवी द्वारा डंपिग ग्राउण्ड के मौका स्थल पर जाकर मुआवना किया गया।

प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ्स का अवलोकन करने पर मानवीयता को शर्मशार कर देने वाल, आत्मविभोर कर देने वाले दृश्य सामने आये हैं जहां दो वक्त की रोजी–रोटी जुटाने के लिए पालकगण स्वयं व अपने छोटे–छोटे बच्चों का जीवन एवं स्वास्थ्य को दाव पर लगाकर मेहनत–मुशक्कत करते दिखे।

सचिव उक्त प्रतिवेदन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुये संबंधित विभागो को उक्त संबंध में अविलंब आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

परिणामतः दिनांक 11.08.2021 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर द्वारा उक्त डंपिंग ग्राउण्ड स्थल के रहवासियों एवं बच्चों की समस्याओं को विवेचना में लेते हुए उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निम्न प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मलित करते हुए दल का गठन किया गया:–

1. नायब तहसीलदार, वृत्त सिंघाना तहसील मनावर।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद मनावर।
3. मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर।
4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मनावर

जिला प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि उक्त डंपिंग ग्राउण्ड पर अपने जीविकोपार्जन हेतु निर्भर परिवार के सदस्यों को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हो साथ ही बच्चों की शिक्षा पूर्ण हो इसके साथ ही डंपिग ग्राउण्ड में विचरण करने वाले मवेशियों को भी प्लास्टिक, पन्नी, मेडिकल वेस्ट आदि के खाने से बचाये जा सके एवं उन्हें किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके लिए स्थानीय पीएलवी श्री रवि उजले एवं श्रीमती शशि पवार को नियमित अन्तराल से डंपिंग ग्राउण्ड व आस–पास की बस्तियों का निरीक्षण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना के अध्यक्ष अपने गृह नगर जबलपुर में भ्रमण के दौरान एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि नग्न अवस्था में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के पास था जिसके संबंध में उनके द्वारा विक्षिप्त व्यक्ति के उपचार एवं पुनर्वास हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को सूचित किया गया तदुपरांत सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल रेस्क्यू करवाया जाकर उक्त व्यक्ति को मोक्ष संस्था, मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा अल्पावधि महिला आश्रम मण्डला में दिनांक 20.09.2021 को आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में **सचिव** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सरस्वति धुर्वे नाम की महिला मिली जो कि मानसिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ्य नहीं थी एवं लगभग 06 माह से अल्पावधि महिला आश्रम में रह रही थी तथा अपने परिवार के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा काफी देर तक बातचीत की गई तब उसने अपने सिर्फ गॉव का नाम बताया जिसके प” चात् संबंधित तहसोल के न्यायिक मजिस्टट से संपर्क कर उस गॉव के सरपंच को बुलाया गया जिसके प” चात् उस महिला के परिवार का पता लगाया जाकर दिनांक 22.09.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास से उस महिला को उसके पिता एवं ग्राम सरपंच को सुपुर्द किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा लीगल एड क्लीनिक जिला चिकित्सालय में पीएलवी द्वारा यह अवगत कराया गया कि राकेश सिंह गोड़ नामक व्यक्ति जो मजदूरी कर अपना जीवनयापन करता था। जिसकी सड़क दुर्घटना में पैर टूट गया था। उसका उपचार विगत 1 वर्ष से चल रहा था लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हुआ, तथा उसकी पत्नी भी उसे छोड़ कर चली गई एवं उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। उसकी परिस्थितियों को देखते हुए पीएलव्ही द्वारा उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल में लेकर उपस्थित हुई। और उसकी समस्या से अवगत कराया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के निर्देशानुसार उसके उचित उपचार हेतु जबलपुर रेफर करवाया जाकर उसका सफलतापूर्वक निःशुल्क ऑपरेशन करवाया गया तथा उसे आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 5000 की राशि भी दिलवाने में सहयोग किया गया जिससे अब वह व्यक्ति स्वस्थ होकर किराने की दुकान खोलकर अपना जीवनयापन खुशी–खुशी कर रहा है।

Resolution Of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues	Total
44	08	52

नेशनल लोक अदालत में कुटुम्ब न्यायालय की समझाईश पर बुजुर्ग दंपत्ति साथ रहने को हुए तैयार

नेशनल लोक अदालत में 2399 प्रकरणों में से 168 का हुआ निराकरण

LOK ADALAT

Judge hears testimony over phone in Family Court

COUPLE GIVE MARRIAGE ANOTHER SHOT

LOK ADALAT AT DISTRICT COURT

29.26% CASES SETTLED IN HIGH COURT

FE TAKES BACK NTENANCE CASE

लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर ना किसी पक्षकार की जीत होती है और ना किसी की हार : मो. सईदुल अबरार

हरिभूमि

भोपाल - सीहोर भूमि 12 Sep 2021

आष्टा न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन

नेशनल लोक अदालत में 26 वर्षों से बिछड़े बुजुर्ग दंपती फिर हुए एक, खुशी-खुशी अपने घर लौटे

'ऋषि' बने जज, तलाक लेने आए जोड़ों का बसाया घर

पुनर्मिलाप ● सुलह कराने के बाद बोले खजराना मंदिर जाकर नए जीवन के लिए लें आशीर्वाद

18 दंपती फिर हुए एक

12 प्रकरणों का निराकरण, अवार्ड पारित

निपटे 529 मामले, पौने दो करोड़ रुपये से अधिक अवार्ड पारित

हरदा

नेशनल लोक अदालत में निपटे कई प्रकरण

सालों के बाद बिछड़े परिवार मिले परेशान माता पिता को मिली राहत

माता-पिता को मिलेगी क्षतिपूर्ति

3.33 करोड़ का संव्यवहार

पुलिस लाइन में भी निपटे प्रकरण

नेशनल लोक अदालत में समझाइश के बाद कई परिवारों में हुआ समझौता

आखिर शंका की दीवार टूटी, छह माह बाद खुशी-खुशी दंपती लौटे घर

दमोह भास्कर

नेशनल लोक अदालत: 24 सौ से अधिक लोगों को मिला लाभ, 4.75 करोड़ के अवार्ड हुए पारित

न्यायालयों में लंबित प्रकरण, प्रिलिटिगेशन मामलों की ही हुई सुनवाई

कपनी व पक्षकार के मध्य हुआ 47 लाख का समझौता

बीते साल हम प्रदेश में नंबर 1 पर थे: प्रिंसिपल जज

न्यायाधीश ने पक्षकारों को चाय पिलाकर कराया मामलों का निराकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों से मिल रहा लोगों को लाभ

बीमा कंपनियों के लगभग 15 प्रकरणों पर निराकरण की बनी सहमति

नेशनल लोक अदालत में निपटे कई प्रकरण

सालों के बाद बिछड़े परिवार मिले परेशान माता पिता को मिली राहत

माता-पिता को मिलेगी क्षतिपूर्ति

3.33 करोड़ का संव्यवहार

पुलिस लाइन में भी निपटे प्रकरण

नेशनल लोक अदालत में समझाइश के बाद कई परिवारों में हुआ समझौता

आखिर शंका की दीवार टूटी, छह माह बाद खुशी-खुशी दंपती लौटे घर

दैनिक भास्कर गुना भास्कर 12-09-2021

लोक अदालत- एनएफएल, दिल्ली की कंपनी में 1987 से चल रहा था लेन-देन विवाद

34 साल में सुप्रीम कोर्ट में भी न सुलझे मामले में सुलह

सड़क हादसे में मृत रेलवे कर्मचारी के परिजनों को 40 लाख क्षतिपूर्ति

नेशनल लोक अदालत

राजीनामा से सैकड़ों प्रकरणों का हुआ निराकरण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कुक्षी में लोक अदालत में निपटे 64 लाख रु. से अधिक के मामले | लोक अदालत में आपसी सहमति से 18 झुए प्रकरणों का निराकरण | दिवस में नेशनल लोक अदालत में समझौते से सुलझे प्रकरण | अलग रह रहे पति-पत्नी लोक अदालत के माध्यम से हुए एक

तीन करोड़ 38 लाख 47 हजार 690 समझौता राशि के अवार्ड पारित हुए

508 प्रकरणों में आपसी सुलह से हुआ निराकरण

ये रहे उपस्थित

नेशनल लोक अदालत

जिलें में 3580, उच्च न्यायालय में 412 प्रकरण निराकृत

73 करोड़ के वसूली के आदेश पारित

दैनिक भास्कर गुना भास्कर 12-09-2021

9 साल से बिछड़े परिवार को लोक अदालत ने मिलवाया

दैनिक भास्कर झाबुआ 12-09-2021

लोक अदालत - आलीराजपुर व जोबट न्यायालय में हुआ नेशनल लोक अदालत का आ

361 प्रकरणों का निराकरण, समझौते पर दिया न्याय

दैनिक भास्कर भोपाल 12-09-2021

नेशनल लोक अदालत • 63 खंडपीठ में 30 हजार से ज्यादा प्रकरण रखे, इनमें से 7623 का निराकरण

घर का बाथरूम ठीक नहीं होने के कारण पत्नी 4 साल से रह रही थी अलग, पति ने रिनोवेशन कराया तब लौटकर आई

शादी के 6 महीने बाद होने लगा था पत्नी से विवाद, अब सुलझा

नेशनल लोक अदालत • 561 न्यायालयीन मामलों का हुआ निराकरण

गिले शिकवे भूलकर 28 दंपती फिर से हुए एक

दैनिक भास्कर गुना भास्कर 12-09-2021

लोक अदालत- एनएफएल, दिल्ली की कंपनी में 1987 से चल रहा था लेन-देन विवाद

34 साल में सुप्रीम कोर्ट में भी न सुलझे मामले में सुलह

सड़क हादसे में मृत रेलवे कर्मचारी के परिजनों को 40 लाख क्षतिपूर्ति

दैनिक भास्कर टीकमगढ़ भास्कर 12-09-2021

टीकमगढ़

नेशनल लोक अदालत • पति-पत्नी का समझौता कराकर न्यायाधीशों ने साथ भेजा घर

2 करोड़ 84 लाख के अवार्ड पारित, 780 लंबित प्रकरणों का किया समाधान

पति-पत्नी के गिले शिकवे किए दूर

जतारा में 35 लंबित प्रकरणों का निराकरण

लोक अदालत में निपटाए गए 1607 प्रकरण

आपसी सुलह में 9 करोड़ 76 लाख 45 हजार रुपए के अवार्ड पारित

जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण

इन मामलों में पारित हुआ अवार्ड

दैनिक भास्कर अशोकनगर 12-09-2021

नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामे से हुआ प्रकरणों का निराकरण

22 खंडपीठ में 798 मामलों का हुआ निराकरण, 1267 लोग हुए लाभान्वित

2 करोड़ 25 लाख 66 हजार 721 रु. अवार्ड पारित

18 साल से चल रहे विवाद का निराकरण

कुटुम्ब न्यायालय के 5 मामलों का निराकरण

दैनिक भास्कर नीमच 12-09-2021

नीमच

लोक अदालत • 16 खंडपीठों में 449 लंबित व 839 प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण

धोखाधड़ी की शिकार 21 महिलाओं को 5 साल बाद अपने 35-35 हजार रुपए मिले

इन प्रमुख मामलों से समझें किस तरह मिला न्याय

दैनिक भास्कर खंडवा भास्कर 09-09-2021

न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रचार रथ

बच्चों का भविष्य और कोरोना की विभीषिका देख फिर आए साथ

177 केस का सहमति से हुआ निराकरण

जज बोले- बेटी को आइसक्रीम खिलाओ, अब कोर्ट मत आना

जिला कोर्ट में 3500 केसों का निराकरण

शराब न पीने की खाई कसम

हाई कोर्ट: 412 केसों में 2.55 करोड़ की अवॉर्ड राशि

53 लाख की क्षतिपूर्ति

लोक अदालत में 27 खंडपीठ गठित की, पांच हजार से अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पाण्डेय प्रेस क्लब के आयोजन में हुए सम्मिलित, कलेक्टर व एसपी को दी बिदाई

कलेक्टर श्री गुप्ता व एसपी श्री पौसरी का किया विदाई सम्मान

तीन करोड़ 38 लाख 47 हजार 690 समझौता राशि के अवार्ड पारित हुए

508 प्रकरणों में आपसी सुलह से हुआ निराकरण

दो हजार से अधिक...

सुलह से 1470 प्रकरणों का समाधान हुआ है। वहीं इन प्रकरणों में तीन करोड़ 38 लाख 47 हजार 690 राशि के अवार्ड पारित किए गए हैं।

नेशनल लोक अदालत के लिए जिले में कुल 28 खंडपीठ में का गठन किया गया था जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अचल कुमार

इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती मनीषा बसेर, विशेष न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री उपेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ श्री अतुल वर्मा, समस्त न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह ठाकुर सहित न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज संपन्न हुई नेशनल लोक अदालत में न्यायिक न्यायालय के 2882 प्रकरण तथा प्री लिटिगेशन के 8008 प्रकरण निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें से न्यायिक न्यायालय के 962 प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन के 508 प्रकरणों में दोनों पक्षों की आपसी सुलह से निराकरण हुआ है।

नेशनल लोक अदालत

जिला न्यायालय में 73 करोड़ तो वहीं उच्च न्यायालय में 2.55 करोड़ के अवार्ड पारित

न्यायाधीश दिखे प्रशि की भूमिका में, दो जोड़ों को बिछड़ने से बचाया

दैनिक भास्कर सागर 12-09-2021

नेशनल लोक अदालत • दुर्घटना दावा प्रकरणों में 3 करोड़ 49 लाख क्षतिपूर्ति राशि दिलाई

पैतृक संपत्ति पर हक के लिए बहन ने भाई के खिलाफ लगाया था केस, 21 साल बाद सुलह

स्कूलों में बच्चों को दिखाई जाएगी लघु फिल्म उड़ने दो

अधिकारियों की बैठक लेते विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव।

» विधिक सेवा प्राधिकरण ने ली बैठक, हाईकोर्ट के निर्देशों की दी जानकारी

भास्कर न्यूज | कटनी

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी कार्यालय में श्रम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार नोटिया ने की। जिसमें श्री नोटिया ने अधिकारियों को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा एमसीआरसी नं. 7070/2021 रवि अहिरवार बनाम मध्यप्रदेश शासन में जारी दिशा-निर्देश के अनुपालन की जानकारी दी। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों को लघु फिल्म उड़ने दो का स्कूल एवं अन्य संस्थानों में जागरूकता शिविरों में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराए जाने एवं संपूर्ण जिले में अधिक से अधिक बच्चों को विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से जागरूक किए जाने के लिए रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक ने सभी अधिकारियों से बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुये ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की की अपील की।

दैनिक भास्कर Sun, 19 September 2021 https://epaper.bhaskarhindi.com/c/63322

विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

रीवा (नव स्वदेश)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आर.सी. वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में बाल सम्प्रेषण गृह एवं हरि बाल गृह में नालसा बालकों हेतु विधिक सेवा योजना एवं नशा पीड़ितो को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवा योजना के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया ने नशे से बचाव एवं उसके दुष्प्रभाव के संबंध में कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिससे हमारा तन, मन व धन दुष्प्रभावित होता है और नशा ही तमाम अपराधों का कारण है। इससे हमें बचना है और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश श्री मुकेश यादव ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ अपने कानूनी अधिकारों को जानने की भी आवश्यकता है, ताकि कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन न कर सके इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री ऊषा उइके ने भी किशोर न्याय अधिनियम पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सेवा योजना एवं नालसा-सालसा की अन्य योजनाओं के बारें में उपस्थित किशोरों को जानकारी प्रदान दी। इस अवसर पर न्यायाधीशों ने बाल सम्प्रेषण गृह एवं हरि बाल गृह के अधिकारी व कर्मचारियों से संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। बालको की बेहतर तरीके से देखभाल करने व पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन दिये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों प्रदान किए गए।

स्लम बस्ती में चलाया जागरुकता कार्यक्रम

मनावर, (निप्र)। तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण पेरा लीगल वॉयलेटियर रवि कुमार उजले, शशि पंवार के द्वारा मनावर डंपिंग ग्राउंड व स्लम बस्ती मे जागरुकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम मे वॉयलेटियर द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, शिक्षा के प्रति जागरूक, तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है इस कार्यक्रम मे वॉयलेटियर के द्वारा डंपिंग ग्राउण्ड मे लोगों को मास्क वितरित किए गए तथा उन्हे स्वच्छता एवं साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए समझाइश दी गई। जो बच्चे डंपिंग ग्राउंड मे कार्यरत है उन बच्चों के परिवार को शिक्षा एंव स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया तथा बताया कि बच्चों को कचरा बीनने के लिए अपने साथ नहीं लाए। परिवार के द्वारा बताया गया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठिक नही होने के कारण भंगार एवं कचरा बीनने का काम कर रहे है। बचों द्वारा बताया कि वे अपने परिवार की अर्थिक मदद करना चाहते हे, और अभी स्कूल नहीं लग रहे है। पश्चात एक एसे परिवार भी मिला गया जो कि कचरे के मेदान मे ही रहते हैं परिवार के सदस्यों से चर्चा की गई उनके द्वारा बताया कि अर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है रहने के लिए घर भी नहीं है इसलिए वह बच्चों के साथ वह कचरे के मेदान मे रह कर अपना जीवन व्यतित कर रहे हे। पश्चात जेलपुरा बस्ती मे लोगों से मिलकर सामुहिक चर्चा की व लोगों को कोरोना की तीसरी लहर आने के बारे मे बताया व टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं स्वच्छता के बारे मे जानकारी दी गई इसी के साथ जो व्यक्ती नशा छोड़ना चाहते है उनकी काउंसलिंग की गई और एसे बच्चे पाए गए जो अनाथ है व शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम है कुछ बच्चे नशा करते हुए भी पाए गए तथा एक व्यक्ति ऐसा पाया गया जो कि मानसिक रूप से पीड़ित हैं जिसकी मदद गाव के रहवासियों के (समुदाय) के द्वारा की जा रही हैं इस जागरूक कार्यक्रम मे कुछ लोगों ने बताया कि बेरोजगार व नोकरी नहीं के कारण लोग कचरा बीनने पर मजबूर है।

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार

» मॉडल स्कूल झिंझरी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

माडल स्कूल झिंझरी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर।

भास्कर न्यूज | कटनी

शासकीय मॉडल स्कूल झिंझरी कटनी में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश दिनेश कुमार नोटिया ने उपस्थित बच्चों को उनके मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। निर्धन परिवार के बच्चों को अन्य बच्चों की तरह शिक्षा का सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हो सके, यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाये जाने का औचित्य को समझाते हुए अपने आसपास के शाला त्यागी बच्चों को समझाईश देकर शाला में पुनः प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किए जाने के लिए प्रेरित किया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के अधिकारी एवं कर्मचारी, विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर Fri, 10 September 2021 https://epaper.bhaskarhindi.com/c/63028393

जिला जेल में बंदियों को दी नालसा के लीगल सर्विस एप की जानकारी

सम्मान | तान्या कान्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में निबंध प्रतियोगिता, पुरुस्कार पाकर खिले उठे बच्चों के चेहरे

अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहकर कार्य करें: न्यायाधीश

पाटन। विधिक साक्षरता तहसील समिति पाटन के तत्वाधान में नगर के तान्या कन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वच्छता की महत्ता विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं व कक्षा 10 के मेधावी छात्रो को माननीय न्यायाधीश श्री विवेक कुमार (जिला न्यायाधीश) ने पुरस्कार व प्रमाण -पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। माननीय न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए स्त्री शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाई और उन्होंने कहा कि आप जीवन में जो भी कार्य करे अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहकर कार्य करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिये। उन्होंने बताया कि जीवन मे एक क्षण की श्रेष्ठता भी जीवन की महत्ता है। इस अवसर पर प्राचार्य सी एस ठाकुर, उप प्राचार्य सुजीत सिंह, सुश्री नेहा राय (विधिक सहायता समिति), नीरज पटेल, अनिल पटेल, ब्रजेश विश्वकर्मा, जस्पाल सिंह, लता रैकवार, मनीषा ठाकुर , धनञ्जय प्यासी , राजश्री, जिज्ञासा शर्मा, प्रज्ञा के साथ स्कूल परिवार वा समस्त छात्र उपस्थित रहे।

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में साइकिल रैली के माध्यम से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कटनी दैनिक मप्र। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार श्यामाचरण उपाध्याय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के मार्गदर्शन में दिनेश कुमार नोटिया जिला न्यायाधीश/ सचिव तथा मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के दिशा निर्देशन में गतदिवस मंगलवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरौंध में स्थापित विधिक साक्षरता क्लब का औचक निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उक्त आयोजन के साथ ही पंच जा अभियान को अग्रसर करते हुए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति को हरा भरा एवं प्रदूषण मुक्त रखने तथा स्वच्छता का संदेश प्रदान करने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन भी किया गया।

कार्यक्रम में दिनेश कुमार नोटिया सचिव महोदय ने बच्चों को साइबरक्राइम, पॉक्सो एक्ट, बाल संरक्षण, किशोर न्याय बोर्ड, मोटर व्हीकल एक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बालक बालिकाओं को उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से सरल भाषा में समझाया।

मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि बच्चों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही स्कूल में स्थापित विधिक साक्षरता क्लब विषय से संबंधित जानकारी दी।

उक्त कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य संत बक्स तिवारी, शिक्षकगण चंद्रकांता दुबे, शिव गोविंद गौतम, ऐश्वर्य मिश्रा, मधु कोरी, विधिक प्रभारी उर्मिला श्रीवास सहित स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम आयोजन | पॉक्सो एक्ट बच्चों को छेड़खानी, कुकर्म आदि गंभीर अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है: न्यायाधीश अतलसिया

विद्यालय में छात्रों को दी गई पॉक्सो एक्ट की जानकारी

कोविड-19 के प्रभाव से दो साल तक घर में कैद बच्चों को अच्छा लगता है स्कूल खुलने के बाद का ऐसा माहौल

पत्रिका फोटो स्टोरी

न्यायाधीश दिनेश नोटिया ने बच्चों को साइबर क्राइम, पास्को एक्ट, किशोर न्याय के बारे में दी जानकारी

पॉक्सो एक्ट बच्चों को छेड़खानी, कुकर्म आदि गंभीर अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है - न्यायाधीश अतलसिया

खंडवा, (निप्र)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा गुरूवार को मोतीलाल नेहरू शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, खण्डवा में स्थापित विधिक साक्षरता क्लब का निरीक्षण एवं उक्त संस्थान में पॉक्सो एक्ट के संबंध में जागरूकता आदि विषय पर छात्रों को जानकारी दी गई।

अच्छी खबर : विधिक सेवा प्रचार-प्रसार में सहयोगी बनेंगे डाक विभाग के पोस्टमेन

मुख्य डाकघर में सूचना प्रदर्शन बोर्ड का अनावरण

भास्कर न्यूज़ | नरसिंहपुर

निशुल्क विधिक सहायता दिलवाने में मदद करेंगे डाकघर

डाक विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण की समन्वित योजना के तहत दिया जा रहा प्रशिक्षण

नि:शुल्क विधिक सहायता के प्रचार-प्रसार में पोस्ट ऑफिस निभायेगा अहम भूमिका

विधिक जागरूकता विषयांकित बैनर्स का अनावरण एवं प्रदर्शन

दैनिक एमपी एक्सप्रेस समाचार से विजय मिश्रा

Fri, 24 September 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/63323972

अब डाक विभाग के सहयोग से पात्र व्यक्ति को मिलेगी विधिक सहा

नि:शुल्क पहुंचा सकते हैं आवेदन

प्रधान डाकघर पर लगाई विधिक जानकारी देने डिस्प्ले

स्वतंत्र समय, अशोकनगर।

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवाओं की जागरूकता एवं विधिक सहायता योजनाओं को ग्राम स्तर पर पहुंचाने के लिए गांधी जयंती से बाल दिवस तक विशेष जागरूकता संपर्क एवं सहायता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करेगा। मुख्य न्यायाधिपति रफीक मोहम्मद,न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव जबलपुर द्वारा गुरुवार को ऑनलाईन यूट्यूब के माध्यम से विधिक सेवा प्रदान किये जाने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही म प्र राज्य में समस्त पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विधिक सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु स्थानीय प्रधान डाकघर पर सूचनात्मक डिस्प्ले बोर्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सविता दुबे, अन्य न्यायाधीश गण, अधिकारी गण उपस्थित रहे।प्रधान डाकघर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अधीन निम्न व्यक्ति विधिक सहायता सलाह के पात्र है पुलिस थानों में आपके अधिकार एवं एक गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 आदि योजनाओं के डिस्प्ले बोर्ड लगवाए गए।

पोस्ट आफिस के माध्यम से विधिक सेवा प्रदान किये जाने हेतु पोस्टर एवं बैनर का

www.readwhere.com

Fri, 24 September 2021

विधिक सहायता उपलब्ध कराने में डाक विभाग करेगा सहयोग

हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनसामन्य को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जागरूक करने हेतु डाक विभाग के साथ सहभागिता की गई है। जिसके अनुसार समाज के पीड़ित एवं उपेक्षित वर्ग को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जागरूक एवं प्रेरित किया जायेगा । उक्त कार्यक्रम का शुभांरभ मप्र के मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति व कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश श्रीवास्तव की गरिमामय उपस्थिती में विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान योगेश दत्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रदीप राठौर, कु भावना साधौ, विशेष न्यायाधीश एवं राजेन्द्र कुमार दक्षणी, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं पंकज जयसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्टेज्ट एवं सचेन्द्र भदकारिया, न्यायाधीश.एवं अभय सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं डाक विभाग के उप संभागीय निरीक्षक श्रीराम गुप्ता एवं पोस्ट मास्टर डीएस मौर्य डाक विभाग के कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहें।

शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021

आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन

राकेश बैरसिया पत्रकार/दैनिक भारतीय जनशक्ति

दैनिक भास्कर झाबुआ 24-09-2021

पोस्ट ऑफिस पर योजनाओं से संबंधित फ्लैक्स लगा

कार्यक्रम

न्यायालय में लगा मानसिक एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

अधिकांश लोगों में बढ़ी मिली शुगर की मात्रा

डाकघर से भी मिलेगी विधिक सहायता

निशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर

45 वाहनों के बनाए चालान

अनावरण

डाक विभाग अब विधिक सेवा भी करेगा

अच्छी खबर : विधिक सेवा प्रचार-प्रसार में सहयोगी बनेंगे डाक विभाग के पोस्टमेन

मुख्य डाकघर में सूचना प्रदर्शन बोर्ड का अनावरण

Fri, 24 September 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/63323972

मोबाइल एप के माध्यम से विधिक सहायता का आवेदन उपलब्ध करायेंगे पोस्टमैन

पोस्ट आफिस के माध्यम से भी मिलेगी नि:शुल्क वि

भास्कर न्यूज़, मंडला

शहडोल के मुख्य डाकघर में विधिक योजनाओं के फ्लेक्स बैनर का हुआ लोकार्पण

अब डाकिया पहुंचायेंगे विधिक योजनाएं

दैनिक भास्कर राजगढ़ 24-09-2021

सुविधा का विधिक सेवा समिति अध्यक्ष ने वेबिनार से किया शुभारंभ

विधिक सहायता के लिए अब पोस्ट ऑफिस से कर सकेंगे आवेदन

पोस्ट ऑफिस से विधिक सहायता के आवेदन के लिए हुआ शुभारंभ

Fri, 24 September 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/63320884

प्रदेश में पहली बार... नूतन कॉलेज में खुली लीगल एड क्लीनिक, यहां पर ढाई महीने के भीतर ही 25 से ज्यादा लड़कियां ले चुकी हैं कानूनी मदद

वंदना श्रोती | भोपाल

नूतन कॉलेज...प्रदेश का पहला कॉलेज है जहां लीगल एड क्लीनिक खुली है। इस क्लिनिक में ढाई माह में 25 से ज्यादा छात्राएं कानूनी सलाह ले चुकी हैं। इस क्लिनिक में जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से दो एडवोकेट को नियुक्त किया गया है, जो विभिन्न यहां पर काउंसलिंग से नहीं सुलझने वाले प्रकरणों की फाइल तैयार कर कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराएंगी ताकि स्टूडेंट को बिना कहीं भटके कानूनी सहायता मिल सकती हैं। इसकी कन्वेनर डॉ. मनीषा शर्मा ने बताया कि जो लड़कियां कई तरह की परेशानी से जूझने के बाद भी अपनी समस्या किसी से नहीं कहती थी अब वे अपनी समस्या बेझिझक बता रही हैं।

पहले पति पढ़ाई करने से रोकता था, अब वह खुद भी कर रहा है पढ़ाई

क्लीनिक की कन्वेनर डॉ. मनीषा शर्मा ने बताया कि सबसे पहला केस एक नवविवाहिता का आया था। शादी के बाद वह जब पहली बार कॉलेज आई तो उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे। इसके बाद उसकी काउंसलिंग की। उसने बताया कि माता-पिता की मौत हो चुकी थी। भाई ने ग्रेजुएशन पूरा होने के पहले शादी कर दी। शादी के 25 दिन बाद पति ने पढ़ाई छोड़ने पर दबाव बनाया। पति का कहना न मानने पर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट से नंबर लेकर पति को बुलाया। उसकी काउंसलिंग की। इसके बाद पति को समझाया गया। इसके बाद पति ने भी पत्नी के साथ पढ़ाई शुरू कर दी है। अब वह नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा इस क्लीनिक में कॉलेज में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने भी अपनी समस्या रखी। पति की मौत के बाद उसके वह अपनी बेटी के साथ अलग मायके में रह रही है। उसके ससुराल वालों ने पति का हिस्सा देने से इंकार कर दिया। कानून की जानकारी के अभाव में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। महिला कर्मचारी की समस्या सुनने के बाद उसे उसका हक दिलाने के लिए प्रकरण तैयार किया गया है। उस प्रकरण को कोर्ट में प्राधिकरण के माध्यम से रखा जा रहा है।

यह भी फायदा

सोशल साइंस की स्टूडेंट की इंटर्नशीप भी यहीं हो रही

डॉ. शर्मा ने बताया कि इस क्लिनिक के शुरू होने कॉलेज की मनोविज्ञान विभाग और सोशल साइंस की स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उनको यहां पर आने वाले प्रकरणों में काउंसलिंग के अवसर मिलेंगे साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण का सहयोग भी। ये स्टूडेंट कोर्ट में लोक अदालत में होने वाली काउंसलिंग को देख और समझ पा रही हैं। इस क्लीनिक में अब तक 25 स्टूडेंट ने कानूनी जानकारी ली।

यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो दूसरे कॉलेजों में भी खोलेंगे

जिला विधिक प्राधिकरण ने नूतन कॉलेज में लीगल एड क्लीनिक शुरू किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भोपाल के सभी कॉलेज में ये क्लीनिक खोले जाएंगे ताकि स... अपने कानून और अधिकारों... समझ सकें। कानूनी सहायता... उसकी जानकारी स्टूडेंट को ... होना चाहिए।

-एसपीएल बुंदेला, सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण भोपाल

दैनिक भास्कर राजगढ़ 12-09-2021

नेशनल लोक अदालत • जिले में 25 खंडपीठों में हुई सुनवाई, लंबित मामले सुलझाए

वृद्ध दंपती को मिलाया, पानिया गांव का अतिक्रमण हटा, ग्रामीणों और प्रशासन के बीच कराई सुलह

साक्षरता शिविर आयोजित कर किया जेल निरीक्षण

हरदा। जिला जेल में कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन सोशल डिस्टेसिंग अपनाते हुए विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल निरीक्षण किया गया। मा योगेश दत्त शुक्ल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिती में तथा मा प्रदीप राठौर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अभय सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में श्री शुक्ल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सभी विचाराधीन बंदियों से उन्हें प्राप्त विधिक सहायता के संबंध में जानकारी लेकर जेल का निरीक्षण किया। बंदियो को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में तथा जेल बंदियो को प्लीबारगेनिंग के बारे में विस्तार से बताया। उक्त शिविर मे जेल अधीक्षक एसएम रावत व जेल प्रहरी मोहम्मद हारून कुरैशी, कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहें।

शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल की पहल

बंदियों को दी विधिक जानकारी

ताप्ती दर्शन, **बैतूल**

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अफसर जावेद खान के मार्गदर्शन में मंगलवार को विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा आज जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने के साथ ही जेल निरीक्षण भी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश दीपिका मालवीय, विधिक सहायता अधिकारी मिथिलेश डेहरिया और सहायक राजेश डेहरिया द्वारा जिला जेल अधीक्षक योगेंद्र पंवार की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर जेल निरीक्षण किया। शिविर के दौरान बंदियों को उनके अधिकारों व विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सभी बंदियों से उनके मामलों में अधिवक्ता नियुक्ति एवं मुलाकात के बारे में भी पूछा गया। बंदियों की समस्याएं भी इस दौरान वार्ड का निरीक्षण किया गया और उनके स्वास्थ्य, साफ-सफाई एवं भोजन इत्यादि के संबंध में पूछा गया। इसी क्रम में जिला जेल के रसोई घर एवं भंडार गृह का निरीक्षण भी किया गया। उक्त जेल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर के दौरान जेल अधीक्षक योगेंद्र पंवार एवं अन्य जेल स्टाफ

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

खंडवा. जिला जेल में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश एलडी बौरासी, सचिव हरिओम अतलसिया व मुख्य न्यायिक मजिस्टेऊट राकेश पाटीदार व जेल अधीक्षक ललित दीक्षित की उपस्थिति में जेल का निरीक्षण और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में पुरूष बंदियो व महिला बंदियों की बैरक में बंदियों से पृथक-पृथक चर्चा कर उनके प्रकरण के संबंध में जानकारी लेकर, विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी। जेल में रसोई कक्ष, व बंदियों के बैरक कक्ष आदि का निरीक्षण कर जेल अधीक्षक ललित दीक्षित व अन्य स्टाफ को कोरोना महामारी के बचाव के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने व जेल के अन्दर पर्याप्त साफ-सफाई, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ जल एवं जेल में सेनेटाइजर का छिड़काव किये जाने, नियमित रूप से समय-समय पर बंदियों के हाथ धुलवाये जाने तथा चेहरे पर मॉस्क का उपयोग करने आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गए।

Legal literacy camp held at Central Jail

■ Staff Reporter

DLSA Secretary Manish Singh Thakur interacting with an inmate during legal literacy camp.

TO ENSURE benefits of inmates, a legal literacy camp was organised at Netaji Subhash Chandra Bose Central Jail strictly following COVID-19 protocols, on Thursday.

The camp was organised following the directives issued by the President, District Legal Service Authority in presence of Secretary, District Legal Service Authority (DLSA), Manish Singh Thakur and District Legal Aid Officer, Mohammed Jilani.

Secretary, DLSA, Manish Singh Thakur shared the objectives behind Legal Literacy Camp and rights of inmates being imprisoned in the jail. He also discussed about redressal of problems face by the inmates in attending appearance through video-conferencing. District Legal Aid Officer, Jilani informed about free legal aid and redressal and appeal in the issues concerned with plea bargaining process.

Law Officer Ashok Singh gave various details about legal aids and counseling provided to the inmates imprisoned in the jail during last one month and other services provided by the panel advocates appointed through LSA. Deputy Superintendent, Central Jail, R P Mishra informed about appearance of inmates in front of the Court through video conferencing.

Secretary, DLSA, Thakur later listened to the grievances of the inmates. The camp was anchored by Assistant Superintendent, Central Jail, Rakesh Mohan Upadhayay. Others who were present on the occasion include Jail Medical Officer Dr Laxman Shah, Senior Probation and Welfare Officer and other officers and employees of Jabalpur Central Jail and para-legal volunteers.

दैनिक भास्कर खरगोन 03-09-2021

शिविर : बंदियों का किया स्वास्थ्य परीक्षण

मंडलेश्वर | मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में सब जेल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया। जिला न्यायाधीश व सचिव विकासचंद्र मिश्र ने शिविर में बंदियों से अपील संबंधी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। स्वास्थ्य परीक्षण डॉ. कमल जाधव व उनकी टीम ने किया।

महिला बंदियों को किया उपयोगी सामग्री का वितरण

केन्द्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

जागरण, रीवा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.सी. वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में तथा विपिन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में केन्द्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित न्यायाधीशों के द्वारा केन्द्रीय जेल का निरीक्षण भी किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया, अपर जिला न्यायाधीश उपेन्द्र देशवाल, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा एवं समाज सेविका श्रीमति सीमा शर्मा उपस्थित रही। इस दौरान समाज सेविका सीमा शर्मा के द्वारा केन्द्रीय जेल रीवा की महिला बंदियों को महिलाओं से संबंधित उपयोगी सामग्री का वितरण किया गया। निरीक्षण के दौरान विपिन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र देशवाल के द्वारा केन्द्रीय जेल के सभी बैरकों, महिला सेल का निरीक्षण किया गया व जेल में बंदियों को प्राप्त होने वाली मूलभूत सुविधाओं , आहार, चिकित्सा इत्यादि के संबंध में निरीक्षण किया। शिविर में उपस्थित न्यायाधीशों के द्वारा बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने प्रि बारगेनिंग व निशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर में दिया मार्गदर्शन

देवास। प्रधान जिला न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में नगर निगम व सामाजिक न्याय विभाग देवास के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर में जिले की नगर निगम सीमा क्षेत्र में निवासरत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया।

शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निहारिका सिंह ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके अधिकारों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी व उनके ट्रांसजेंडर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने के संबंध में जागरूक किया। शिविर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र, निःशुल्क राशन के लिए राशन पात्रता पर्ची का वितरण कर उनके अधिकारों से जागरूक करने के लिए ट्रांसजेंडर एक्ट की छायाप्रति भी प्रदान की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी शक्ति रावत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों व नालसा तथा सालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे वितरित किए गए। शिविर में ट्रांसजेंडर समुदाय से सोनिया कुंवर, जया कुंवर, उषा कुंवर, रवीना कुंवर व समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी नगर निगम राघवेंद्र सेन, सामाजिक न्याय विभाग से जायसवाल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित थे।

नशे से दूर रहने व साइबर क्राइम के बारे में दी जानकारी

विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

जागरण, रीवा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आर सी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में साईनांजलि समिति द्वारा संचालित विद्याशिल्प एकेडमी में नालसा बालकों हेतु विधिक सेवा योजना के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है।

शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लवानिया ने कहा कि बालक देश की धरोहर हैं और कल के भारत की बागडोर उन्हीं के हाथों में होगी, इसलिए उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा प्राप्त होनी आवश्यक है ताकि उनका चहुंमुखी विकास हो सके। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी देते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश महिमा कछवाहा ने पॉक्सो अधिनियम पर जानकारी देते हुए कहा कि समाज में बच्चों के साथ बहुत ही वीभत्स्य घटनाएं देखने में आ रही हैं जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम आयु के बालक व बालिका के साथ छेड़छाड़ या यौन अपराध की घटनाएं घटती है तो उसके लिए पॉक्सो अधिनियम में कड़ी कार्यवाहियों के प्रावधान किए गए हैं। शिविर से बालकों में कानून के बारें में एक जागरूकता उत्पन्न हुई है आगे चलकर यह जानकारियां भविष्य में काम आएगीं। इसके साथ ही उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम के बारें में विस्तार से जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा ने नालसा,सालसा की योजना, विधिक सेवा मोबाइल ऐप और निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। उन्होने कहा कि बालकों के साथ यदि कोई अन्याय होता है तो उन्हें भी निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। विद्याशिल्प एकेडम्मी के संचालिका अनुराधा श्रीवास्तव ने आभार प्रकट किया तथा संचालन सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में शिक्षक,शिक्षिकाएं एवं छात्र,छात्राएं उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर श्योपुर भास्कर 22-09-2021

...धिक साक्षरता शिविर में आदिवासियों ...ो दी उनके अधिकारों की जानकारी

...। अमृत महोत्सव के ...कालीतलाई में ...जित किया शिविर

...ास्कर संवाददाता | कराहल

विधिक साक्षरता शिविर के दौरान मौजूद ग्रामीण।

...अमृत महोत्सव कार्यक्रम के ...आदिवासी समुदाय तक न्याय ...ुंच को सुनिश्चित करने के ...म कालीतलाई में मंगलवार को ... साक्षरता शिविर लगाया गया ...ामीणों को न्याय पाने के प्रति ... किया गया।

...क साक्षरता शिविर में जिला ...श और जिला विधिक सेवा ... के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। ... कर सकते हैं साथ ही अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं ...ार से ... ग्राम ... सुरेश ... हे।

बुन्देलखण्ड बुलेटिन। दतिया। म.प्र.। राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश रावत के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा बृद्धाश्रम बाल प्रगति शिक्षण संस्थान दतिया में बढ्ढो के अधिकारों के विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सुश्री स्वाति गोयल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 दतिया द्वारा बताया गया कि बढ्ढो को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना अतिआवश्यक है।बढ्ढो को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त है। जैसे--अपने बच्चों से भरण-पोषण लेने का अधिकार प्राप्त है।बैंक में अलग से लाइन में लगने का अधिकार,रेलवे में टिकिट पर छूट दी जाती है,पेंशन योजना का लाभ लेने का अधिकार आदि।बढ्ढो को ऐसे तमाम अधिकार प्राप्त है।आज तमाम कानूनों और प्रावधानों के बावजूद भारत में बढ्ढो की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया है।इसकी एक बड़ी वजह है,उनका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना होना है।संविधान से लेकर सरकार और वक्त-वक्त पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं

उच्च न्यायालय द्वारा भी बढ्ढो को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए कई कानून नियम बनाए गए हैं।साथ मे महिलाओं के अधिकारों के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को सुरक्षित रखने से लेकर आर्थिक और सामाजिक तौर पर ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भी उन्हें कई अधिकार दिए गए हैं। जैसे-- किसी भी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करा सकती है,पीड़ित महिलाएं।महिलाओं को पुरुषों के बराबर मेहनताना पाने का अधिकार। बेटी को मिलता है पैत्रिक संपति में बेटे के बराबर का अधिकार आदि। न्यायधीश महोदय द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पिता की संपति पर बेटी का भी उतना ही हक है जितना कि बेटे का,हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के वक्त चाहे बेटी के पिता जिंदा रहे हो या नहीं।बेटी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेटे के बराबर संपति का अधिकार मिलेगा। विधिक साक्षरता शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री सुदीप तिवारी संचालक बृद्धाश्रम दतिया द्वारा किया गया। उक्त शिविर में सुश्री अंकिता शांडिल्य जिला विधिक सहायता अधिकारी दतिया, सत्येन्द्र दिसोरिया (पीएलव्ही) सुधांशु तिवारी सहित उपस्थित रहे।

पीताम्बरा प्रिंटिंग प्रेस विजय कुशवाहा व बतेरे कुशवाहा की भूमि पर बाहर उन्नाव गेट सरकारी टयूब वैल के पास आहल कोतवाली से मुद्रित करा कर।27 बुन्देला

आज कल कई संतान निष्ठुर व कर्तव्यहीन होती जा रही है जिसका परिणाम परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों को भोगना पड़ रहा है : न्यायाधीश

श्री दादाजी वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न

खण्डवा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा सोमवार को श्री दादाजी वृद्धाश्रम रामनगर खण्डवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्शन में व अपर जिला न्यायाधीश/सचिव हरिओम अतलसिया की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई के समन्वय से विधिक जागरूकता एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर अपर जिला न्यायाधीश हरिओम अतलसिया द्वारा बताया गया कि परिवार के वृद्धजन अनुभवों का वह खजाना है जो हमें जीवन पथ के कठिन मोड़ पर उचित मार्गदर्शन प्रदान करते है। किन्तु वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली, पीढ़ियों में अन्तर, आर्थिक पहलू, विचारों में भिन्नता आदि के कारण आजकल कई संतान निष्ठुर व कर्तव्यहीन होती जा रही है जिसका परिणाम परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों को भोगना पड़ रहा है।

वृद्धजन के अधिकार व भरण पोषण की कानूनी जानकारी दी गई: इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा बताया कि घर का बुजुर्ग व्यक्ति घर का मुखिया होता है तथा इस कारण वह अपने बच्चों, बहुओं और बेटे बेटी को कोई गलत कार्य या बात करते हुए देखते तो बुजुर्ग व्यक्ति उक्त संबंध में जब परिवार के सदस्य को समझाते है तो परिवार के सदस्य इस बात का विरोध करने लगते इसके चलते भी कई परिवार में वृद्धजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारीगण द्वारा शिविर के दौरान नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में योजना व वृद्धजन के अधिकार, भरण पोषण, व अन्य कानूनी जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर उनके द्वारा वृद्धाश्रम का निरीक्षण भी किया गया। इस कार्यक्रम में वृद्धाश्रम के मैनेजर श्रीमती नंदिनी अत्रे, योग प्रशिक्षक ज्ञानेश्वर अत्रे सहित वृद्धजन उपस्थित थे।

गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलना आवश्यकः न्यायाधीश

दतिया, ब्यूरो

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के निर्देशानुसार बड़ौनी तहसील के ग्राम मरोड़ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

विधिक सहायता शिविर में जानकारी देते अपर जिला न्यायाधीश।

इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलना आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी मदद दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संकलिप्त है। कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रहे, इसलिए हम समय-समय पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर संपर्क कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी को शासकीय अधिवक्ता निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ग्रामवासियों की समस्याएं भी सुनी और उनके अधिकारों के बारे में भी बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश रावत ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देकर अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, बाढ़ या आपदाओं के शिकार लोग एवं जिनकी आय दो लाख से कम है वह प्राधिकरण से विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन सुनील त्यागी ने किया।

...धिकरण के निर्देश पर 2 अक्टूबर से 14 ...

...त महोत्सव के अन्त...

...महिलाओं ने भी आगे बढ़कर किया रक्तदा...

जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से जन सामान्य को मिली शीघ्र राहत

आजाद नायक

इन्दौर। जिला न्यायालय इन्दौर में लोक उपयोगी सेवाओं की समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु जन सामान्य को त्वरित न्याय मिलने के कारण जिला न्यायालय में प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होने वाली लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा त्वरित गति से मामलें प्रस्तुत किये जाने लगे हैं। आवेदक जितेन्द्र निवासी- निरंजनपुर रविदास कॉलोनी, 790 देवास नाका इंदौर ने को इस आशय का आवेदन पेश किया कि उसके निवास क्षेत्र की ड्रेनेज लाईन विगत एक माह से अवरूद्ध है और गंदा पानी क्षेत्र में फैल रहा है और बदबू के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। जिस पर लोक उपयोगी लोक अदालत ने अनावेदक नगर निगम को नोटिस जारी कर तलब किया गया और प्रश्नगत स्थान की उपरोक्त समस्या का समाधान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर नगर निगम द्वारा प्रश्नगत स्थान पर ड्रेनेज लाईन की सफाई कर जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ पाईप बदलकर नये चैम्बर डालकर सुधार करते हुए साफ सफाई की गई। इसी प्रकार आवेदक हबीबउल्लाह खाँ निवासी- 164/2, जूना रिसाला इंदौर ने को इस आशय का आवेदन पेश किया कि उसके निवास स्थान में नल कनेक्शन नहीं होने के बाद भी नगर निगम द्वारा उसके नाम पर अभिलेखों में 48,888/- रूपये बाकी दर्शाया जा रहा है। आवेदक द्वारा नगर निगम में उक्त संबंध में जन सुनवाई में आवेदन दिया, परन्तु आवेदक की सुनवाई नहीं हुई। जिससे परेशान होकर आवेदक द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं की जिला न्यायालय स्थित अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अनावेदक नगर निगम को नोटिस जारी कर उक्त समस्या का समाधान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर अनावेदक नगर निगम द्वारा जाँच कर आवेदक के निवास स्थान पर नल कनेक्शन से जल प्रदाय नहीं किये जाने के आधार पर आवेदक के नाम दर्शित नल कनेक्शन खाते में दर्शित 48,888/- रूपये का बिल नल कनेक्शन नहीं इस प्रकार उक्त दोनों ही प्रकरणों में आवेदकों को लोक उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र राहत प्राप्त हुई। जन उपयोगी लोक अदालत द्वारा अभी तक अनेक प्रकरणों में आदेश करते हुए आवागमन की सार्वजनिक सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता, नाली, जल सेवा से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जा चुका है। इन्दौर शहर वासियों को यदि सड़क, जल, मल, विद्युत, प्रकाश, स्वच्छता, नाली, सड़क परिवहन सेवा, अस्पताल या डिस्पेंशरी सेवा से संबंधित कोई शिकायत या परेशानी हो तो ऐसे सभी व्यक्ति धन राशि खर्च किये बिना अपना शिकायत आवेदन जिला न्यायालय में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। जन उपयोगी लोक अदालत प्रत्येक शुक्रवार को जिला न्यायालय के कक्ष क्रमांक 28/1 में आयोजित की जाती है।